

अध्याय 2

सीएजी की निरीक्षण भूमिका

2.1 सार्वजनेक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सरकारी कम्पनी सहित मानी गई सरकारी कम्पनी के लेखापरीक्षक (सांविधिक लेखापरीक्षक) इन कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करता है। इसके बाद की गई पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर सीएजी टिप्पणियां अथवा सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपूरक जारी करता है। कुछ निगमों को शासित करने वाली संविधियों में अपेक्षा है कि उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाए और एक प्रतिवेदन संसद को प्रस्तुत किया जाए। पूरक/नमूना लेखापरीक्षा के अतिरिक्त सीएजी विशिष्ट विषयों और क्षेत्रों की निष्पादन लेखापरीक्षा करते हैं।

2.2 सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

2.2.1 सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति में वास्तविकता

मानी गई सरकारी कम्पनियों सहित सरकारी कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 619(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में सीएजी द्वारा की जाती है। इस प्रयोजन के लिए सीएजी द्वारा सनदी लेखाकारों के फर्म के एक पैनल का रखरखाव सनदी लेखाकारों के पात्र फर्मों से प्रत्येक वर्ष आवेदन पत्र मंगा कर किया जाता है। इस प्रकार गठित पैनल का उपयोग आगामी वित्त वर्ष के लिए सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसईज) के सांविधिक लेखापरीक्षकों के चयन के लिए किया जाता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नियमित आधार पर वार्षिक रूप से की जाती है।

नियुक्ति के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों का चयन सनदी लेखाकारों की प्रत्येक फर्म लेखापरीक्षा समनुदेशन के आकार के साथ करते हैं, द्वारा अर्जित प्राप्तांक से सह संबंध स्थापित करके किया जाता है। यह निर्धारित करने के लिए, प्राप्तांक फर्म के अनुभव, भागीदारों की संख्या और फर्म से उनका साहचर्य, सनदी लेखाकार कर्मचारियों की संख्या के आधार पर होता है कि फर्म के पूर्ववृत्त सुस्थापित हैं और फर्म आबंटित लेखापरीक्षा करने में समर्थ है।

प्रणाली सुनिश्चित करती है कि सनदी लेखाकार फर्मों को लेखापरीक्षा का आबंटन वस्तुनिष्ठता से क्षमता की योग्यता के आधार पर किया जाता है।

2.2.2 वर्ष 2012-13 के लिए सीपीएसईज के सांविधिक लेखापरीक्षकों की समय से नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 के साथ पठित धारा 166 और 230 के अन्तर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए प्रत्येक कम्पनी के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाने वाली अपनी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में शेयर धारकों के समक्ष प्रस्तुत करने होते हैं। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 224 के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षक एक एजीएम की समाप्ति से अगली एजीएम की समाप्ति तक कार्यालय धारण करता है।

वर्ष 2012-13 के लिए सूचीबद्ध कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति जुलाई/अगस्त 2012 के दौरान की गई थी।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) से सूचीबद्ध करार के खंड 41 में प्रावधान है कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध सभी इकाइयों को निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित और कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा 'सीमित समीक्षा' के बाद अपनी त्रैमासिक वित्तीय समीक्षा (क्यूएफआर) में प्रकाशित करना चाहिए। समीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति तिमाही की समाप्ति के दो महीने के अन्दर स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत करनी होती है। एक वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही की सीमित समीक्षा तदनुसार की जानी है ताकि परिणामों का प्रकाशन वर्ष के अगस्त के अंत तक किया जा सके। सीपीएसईज को कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा क्यूएफआर बनवा कर प्राप्त करने का विकल्प है।

ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के समय से अनुपालन को सुगम बनाने के लिए मानी गई सरकारी कम्पनियों सहित सरकारी कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा जुलाई/अगस्त 2012 के दौरान वर्ष 2012-13 के लिए लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए की गई थी।

2.2.3 सरकारी कम्पनियों और मानी गई सरकारी कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता

सांविधिक लेखापरीक्षक का कम्पनी जिसकी वह लेखापरीक्षा करता है, के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र व्यवसायिक मत उपलब्ध कराना न्यासी कर्तव्य है। सांविधिक लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और हित के द्वंद के किसी अवसर के निवारण को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 निम्नलिखित नियुक्ति का निषेध करती है

- कम्पनी का अधिकारी अथवा कर्मचारी अथवा उनका भागीदार अथवा कर्मचारी,
- एक व्यक्ति जो कम्पनी का कर्जदार है और
- ऐसे व्यक्ति को जो कम्पनी के लेखापरीक्षक के रूप में वोटिंग अधिकार वाली किन्हीं प्रतिभूतियों का धारक है।

इसी प्रकार, सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 में सांविधिक लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान निहित है। सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की प्रथम अनुसूची का पैराग्राफ 10 फीस की स्वीकृति का निषेध करता है जो या तो लाभ से जुड़े हैं अथवा निष्कर्ष या रोजगार के परिणामों पर अन्यथा निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त, द्वितीय अनुसूची, भाग-1 का पैराग्राफ 4 कारोबार जिसमें वह अथवा उसकी फर्म अथवा उसके फर्म के एक भागीदार का पर्याप्त हित है, के वित्तीय विवरणों पर तब तक राय व्यक्त करने के लिए सनदी लेखाकार के लिए एक कदाचार का कार्य बनता है जब तक ऐसे हित का प्रकटन नहीं किया जाता है।

लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता

- गैर लेखापरीक्षा समनुदेशन की स्वीकृति पर प्रतिबंध।
- प्रत्येक चार वर्षों में लेखापरीक्षकों का रोटेशन।

सरकारी कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सीएजी द्वारा निम्नलिखित और सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है:

➤ सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा गैर-लेखापरीक्षा समनुदेशनों की स्वीकृति

सांविधिक लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और लेखापरीक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भागीदार अथवा संबंधी (पति, पत्नी, भाई, बहन अथवा कोई पूर्वज अथवा वंशज) अथवा सरकारी कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के संगठन* लेखापरीक्षा के वर्ष और फर्म के कम्पनी का सांविधिक लेखापरीक्षक के निवर्तन बाद एक वर्ष के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा अथवा परामर्शी अथवा सरकारी कम्पनी को अन्य सेवाएं प्रस्तुत करने के लिए कोई समनुदेशन लेने से निषेध करता है। गैर-लेखापरीक्षा समनुदेशन की स्वीकृति जिसमें प्रबन्धन कार्य निष्पादन अथवा प्रबन्धन निर्णय देना शामिल है, भी लेखापरीक्षा के वर्ष के दौरान और फर्म के सांविधिक लेखापरीक्षक के निवर्तन के बाद एक वर्ष तक निषिद्ध है।

➤ लेखापरीक्षकों का रोटेशन

प्रत्येक चार वर्षों में सरकारी कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रोटेशन की प्रणाली अच्छी पद्धति के रूप में अपनाई गई है।

* शब्द संगठन में (क) सनदी लेखाकारों की अन्य फर्में जिनमें कोई कर्मचारी अथवा लेखापरीक्षा फर्म का भागीदार हित रखता है (ख) लेखापरीक्षक फर्म का कोई कर्मचारी अथवा भागीदार जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में सनदी लेखाकार के रूप में प्रैक्टिस कर रहा है, शामिल हैं।

2.3 सीपीएसईज के लेखाओं का बकाया

2.3.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 ए के अनुसार सरकारी कम्पनी के कामकाज और कार्यों पर वार्षिक रिपोर्ट इसकी एजीएम के तीन महीने के अन्दर तैयार करनी होती है और ऐसी तैयारी के बाद यथाशीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति और सीएजी द्वारा की गई उस पर कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक के साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। सांविधिक निगमों के विनियमन के लिए अलग अलग अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान विद्यमान हैं। यह तंत्र भारत की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश की गई सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक संसदीय नियंत्रण उपलब्ध कराता है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166 प्रत्येक कम्पनी से प्रत्येक कलेंडर वर्ष में एक बार शेयर धारकों की एजीएम आयोजित करने की अपेक्षा करती है। यह भी कथन है कि एक एजीएम और अगले एजीएम की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय व्यतीत नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 में अनुबद्ध है कि उस दिन जिसको एजीएम के पूर्ववर्ती दिन से 6 महीने से अधिक नहीं होगा, को समाप्त होने वाली अवधि के लेखापरीक्षित लेखे उनके विचार के लिए उक्त एजीएम को प्रस्तुत किए जाने हैं।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 210(5) और (6) में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 के प्रावधानों के अननुपालन के लिए कम्पनी के निदेशक सहित जिम्मेदार व्यक्ति पर दंड और कारागार जैसी शास्ति के भी लगाने का प्रावधान है।

केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों के लेखाओं में बकाया का मुद्दा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सीएजी द्वारा निरन्तर सूचित किया गया है। सीएजी द्वारा मामले को जनवरी 2007 में कार्पोरेट मामले, मंत्रालय, भारत सरकार और प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ भी उठाया गया था जिसने इन कम्पनियों के निदेशक मंडल को सरकारी निदेशक नियुक्त किया है। इसके बदले कार्पोरेट मामले मंत्रालय ने कम्पनी रजिस्ट्रार को ऐसी कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 की उप धारा (5) और उप-धारा (6) के प्रावधानों की तरफ ध्यान केन्द्रित करने का निदेश दिया, और जिनके लेखे बकाया थे उन्हें शीघ्र अपने लेखाओं को पूरा करने का निदेश दिया ताकि कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों को अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को सीएजी द्वारा नवम्बर 2011 में लेखाओं के बकाया के निपटान के लिए पुनः अनुस्मारक दिया गया है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि इस संबंध में अननुपालन के लिए जिम्मेदार केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों के निदेशकों सहित चूककर्ता व्यक्तियों के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा

210 की उपधारा 5 और 6 के अन्तर्गत कोई कार्रवाई नहीं की गई है जबकि विभिन्न सीपीएसईज के वार्षिक लेखे लम्बित थे जिसका विवरण आगामी पैराग्राफ में दिया गया है।

2.3.2 सरकारी कम्पनियों और मानी गई सरकारी कम्पनियों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में सामयिकता

31 मार्च 2013 को सीएजी के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में 358 सरकारी कम्पनियां और 161 मानी गई सरकारी कम्पनियां थीं। इनमें से 351 सरकारी कम्पनियों और 161 मानी गई सरकारी कम्पनियों से वर्ष 2012-2013 के लेखे बकाया थे।

519 कम्पनियों में से 89 कम्पनियों के लेखे बकाया थे।

सात सरकारी कम्पनियों जो नई थी, से लेखे बकाया नहीं थे। 30 सितम्बर 2013 को अथवा पहले कुल 288 सरकारी कम्पनियों और 127 मानी गई सरकारी कम्पनियों ने सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए। 63 सरकारी कम्पनियों और 26 मानी गई सरकारी कम्पनियों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे।

केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों के बकाया लेखाओं के ब्यौरे निम्नवत हैं:-

विवरण		केन्द्रीय सरकारी कम्पनियां जहां सीएजी पूरक लेखापरीक्षा करते हैं					
		सरकारी कम्पनी		मानी गई सरकारी कम्पनी		कुल	
		358		161		519	
		सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	सूचीबद्ध
31.03.2013 तक की संख्या		51	307	8	153	59	460
घटाएं: कम्पनियां जिनके 2012-13 के लेखे बकाया नहीं थे		0	7	0	0	0	7
कम्पनियां जिनसे 2012-13 के लेखे देय थे		51	300	8	153	59	453
कम्पनियों जिन्होंने 30 सितम्बर 2013 तक सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए लेखे प्रस्तुत किए		48	240	8	119	56	359
लेखे प्रस्तुत नहीं किए		0	0	0	8	0	8
बकाया लेखे		3	60	0	26	3	86
बकाया के ब्यौरे	(i) समापनाधीन	0	22	0	8	0	30
	(ii) समाप्त	0	4	0	6	0	10
	(iii) अन्य	3	34	0	12	3	46
'अन्य' वर्ग के प्रति बकाया का समय वार विश्लेषण	एक वर्ष (2012-13)	3	29	0	9	3	38
	दो वर्ष (2011-12 तथा 2012-13)	0	1	0	1	0	2
	तीन वर्ष और अधिक	0	4	0	2	0	6

इन कम्पनियों के नाम **परिशिष्ट II** में दर्शाए गए हैं।

सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप इन इकाइयों में निवेशित सार्वजनिक धन के प्रबंधन के ऊपर संसदीय नियंत्रण की कमी और सांविधिक प्रावधानों को उल्लंघन हुआ।

2.3.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में सामयिकता

छः सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। पांच सांविधिक निगमों, जिनके मामले में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है, यथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दामोदर घाटी निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा केन्द्रीय वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन जहां सीएजी ने पूरक लेखापरीक्षा की है, ने समय पर लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2012-13 के अपने लेखे प्रस्तुत किए थे।

2.4 सीएजी का निरीक्षण- लेखाओं की लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा

2.4.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा

कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI में निर्धारित प्रपत्र में और लेखाकरण मानकों की राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखाकरण मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। सांविधिक निगमों से सीएजी के परामर्श से बनाए गए नियमों तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशेष प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में अपने लेखे तैयार करने की अपेक्षा की जाती है।

2.4.2 सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अनुसार उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी इस उद्देश्य के साथ, कि सांविधिक लेखापरीक्षक उनको आबंटित कार्यों का उचित प्रकार तथा प्रभावी रूप से निर्वहन करते हैं, सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की निगरानी द्वारा पर्यवेक्षण भूमिका निभाते हैं। इस कार्य का निर्वहन निम्न शक्ति का उपयोग करते हुए किया जाता है।

- कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना। धारा 619(3)(क) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा जारी निर्देशों का उद्देश्य प्राथमिक रूप से लेखापरीक्षिती संगठन में लेखाकरण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन करना है और

- कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को पूरक करना या टिप्पणी करना।

2.4.3 वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए सीपीएसई के चयन का मापदंड

सीपीएसईज के वार्षिक लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा करने के लिए समय कम करने हेतु सीएजी ने पूरक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 42 दिन निर्धारित किए हैं। सीएजी ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिक संकेन्द्रण और लेखापरीक्षा संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए सीपीएसईज के चयन के लिए मानदंड में संशोधन किए। संशोधित मानदंड के अनुसार सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा उन सीपीएसईज के संबंध में वार्षिक रूप से किया जाना है जिनका टर्नओवर ₹ 5000 करोड़ अथवा उससे अधिक है या प्रदत्त पूंजी ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक है। अन्य सभी सीपीएसईज का चयन इस शर्त कि इनकी लेखापरीक्षा पांच वर्षों में कम से कम एक बार हो, के अध्यक्षीन जोखिम निर्धारण के आधार पर किया जाना है।

2.4.4 चयनित सीपीएसईज के वार्षिक लेखाओं की तीन चरणीय लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम 1956 अथवा अन्य सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरणों के तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी किसी इकाई के प्रबंधन की है।

तीन चरणीय लेखापरीक्षा सीपीएसईज के वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता में सुधार के लिए सीएजी द्वारा वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए एक गहन नवीकृत, संकेन्द्रित और परिणामोन्मुखी पहुंच लागू की गई।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक

आईसीएआई के मानक लेखापरीक्षण पद्धतियों तथा सीएजी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा होती है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ चुनी गई सरकारी कम्पनियों के प्रमाणित लेखे की समीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से ऐसी समीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों, यदि कोई हैं, की सूचना वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत दी जाती है।

चूंकि, लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी वित्तीय प्रतिवेदन की गुणवत्ता में वृद्धि अर्थात् पठनीयता, विश्वसनीयता और विभिन्न पणधारियों के लिए उपयोगिता में प्रबंधन की सहायता करना है, इसलिए सीएजी ने 'तीन चरणीय लेखापरीक्षा' की प्रणाली द्वारा वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए अधिक


गहन, नवीकृत, संकेन्द्रित तथा परिणामोन्मुख पहुंच प्रस्तुत किया है। तीन चरणीय लेखापरीक्षा प्रणाली को निम्नलिखित उद्देश्यों से प्रबंधन और संबंधित सांविधिक लेखापरीक्षक के साथ नई लेखापरीक्षा पहुंच के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली पर चर्चा के बाद मतैक्य के आधार पर 2008-09 के वित्तीय विवरणों के लिए 'सूचीबद्ध', नवरत्न, 'मिनीरत्न' और 'सांविधिक निगमों की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले चुने गए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में लागू किया गया था।:

- सीपीएसईज द्वारा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों से संबंधित

असंगतियों और संदेहों को दूर करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों, प्रबंधन और सीएजी की लेखापरीक्षा के बीच प्रभावी सप्रेषण और समन्वित पहुंच स्थापित करना।

- सीपीएसईज के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के पूर्व त्रुटियों, चूक, अननुपालन आदि की पहचान करना और उजागर करना और सीपीएसईज के सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा प्रबन्धन को समय से उपचारी कार्रवाई करने के लिए ऐसे मुद्दों की जांच करने के लिए अवसर प्रदान करना।

- सीपीएसईज के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के बाद सीएजी की लेखापरीक्षा के समय को कम करना।



इस प्रकार, तीन चरणीय लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों पर स्वीकृत टिप्पणियों में सुधार के लिए सीपीएसईज के प्रबंधन को समर्थ बनाकर लेखापरीक्षा प्रक्रिया और कार्यप्रणाली में पर्याप्त गुणात्मक परिवर्तन लाती है।


नई लेखापरीक्षा पहुंच की सराहना विभिन्न सीपीएसईज जिन्होंने इसका विकल्प दिया, के प्रबन्धन और संबंधित सांविधिक लेखापरीक्षकों दोनों द्वारा की गई थी। नई लेखापरीक्षा पहुंच का चरण-I और चरण-II कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(क) के विस्तारित प्रावधान हैं। प्रथम दो चरणों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा टिप्पणियां प्रारंभिक टिप्पणियों के रूप में मानी जाती हैं और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(क) के अन्तर्गत उप-निर्देश के भाग के रूप में सांविधिक लेखापरीक्षकों को सूचित की जाती हैं। लेखापरीक्षा का अंतिम चरण (चरण III) प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन और सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के बाद किया जाता है जो वही है जैसा पहले किया जाता था।

2.5 सीपीएसईज की निरीक्षण भूमिका के परिणाम

2.5.1 तीन चरण लेखापरीक्षा का प्रभाव

60 सीपीएसईज में की गई तीन चरणीय लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपने वित्तीय विवरणों में सीपीएसईज द्वारा अनेक मात्रात्मक के साथ-साथ गुणात्मक परिवर्तन किए गए थे जिसके कारण उनके वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

वर्ष 2012-13 के लिए इन सीपीएसईज के वित्तीय विवरणों की तीन चरण लेखापरीक्षा द्वारा किया गया मूल्यवर्द्धन निम्नलिखित ग्राफ में दर्शाया गया है:



सीपीएसईज जहाँ महत्वपूर्ण मूल्य वर्धन किया गया:

क्र.सं.	सीपीएसईज के नाम
1.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
2.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
3.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
4.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
5.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
6.	एमएमटीसी लिमिटेड
7.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
8.	नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड
9.	एनटीपीसी लिमिटेड
10.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड
11.	ऑयल इंडिया लिमिटेड
12.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
13.	ग्रामीण विद्युतीकरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड
14.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
15.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

2.5.2 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों/मानी गई सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

वर्ष 2012-13 के वित्तीय विवरण 288 सरकारी कम्पनियों (51 सूचीबद्ध कम्पनियों में से 48 सहित), 127 मानी गई सरकारी कम्पनियों (आठ सूचीबद्ध कम्पनियों सहित) तथा छः सांविधिक निगमों से 30 सितम्बर 2013 तक प्राप्त

सीएजी ने वर्ष 2012-13 के लिए 278 कम्पनियों और पांच सांविधिक निगमों के लेखाओं की समीक्षा की।

हुए थे। इनमें से 198 सरकारी कम्पनियों और 80 मानी गई सरकारी कम्पनियों तथा पांच सांविधिक निगमों के लेखाओं की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई थी।

सारांशतः, सीएजी ने 30 सितम्बर 2013 तक प्राप्त लेखाओं में से 69 प्रतिशत सरकारी कम्पनियों और 63 प्रतिशत मानी गई सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की समीक्षा की।

लेखाओं का संशोधन और इसका प्रभाव

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लेखाओं की सीएजी द्वारा आयोजित पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप आठ कम्पनियों ने अपने लेखे संशोधित किए। कम्पनियों की लाभप्रदता* पर लेखाओं के संशोधन का मुख्य प्रभाव निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

लाभ में कमी

क्रमांक	कंपनी का नाम	₹ करोड़ में
1.	एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड	0.03
2.	कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड	6.30
3.	एचपीसीएल जैव ईंधन लिमिटेड	2.98

सीएजी द्वारा लेखाओं की समीक्षा के बाद कम्पनियों द्वारा लेखाओं के संशोधन से इन कम्पनियों के वित्तीय विवरणों पर ₹ 9.32 करोड़ का प्रभाव पड़ा था।

परिसम्पत्तियों में वृद्धि

क्रमांक	कंपनी का नाम	₹ करोड़ में
1.	एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड	0.01

परिसम्पत्तियों में कमी

क्रमांक	कंपनी का नाम	₹ करोड़ में
1.	कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड	6.30

* एगीकल्चर फाइनेंस कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, बीईएल ओपट्रोनिक्स डिवाइस लिमिटेड, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिसटेंस काउंसिल, मिश्र धातु निगम लिमिटेड तथा मजागाँव डॉक लिमिटेड ने भी अपने लेखे संशोधित किए परन्तु ऐसे संशोधन के संबंध में इन कम्पनियों की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नहीं था, इसलिए तालिका में नहीं दर्शाया गया है।

देयताओं में वृद्धि

क्रमांक	कंपनी का नाम	₹ करोड़ में
1.	एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड	0.04
2.	एचपीसीएल बायोफ्यूएल्स लिमिटेड	2.98

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संशोधन:

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लेखाओं की सीएजी द्वारा आयोजित पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप 15 सरकारी कम्पनियों (दो सूचीबद्ध सरकारी कंपनी सहित) तथा तीन मानी गई सरकारी कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्टें संशोधित की। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में महत्वपूर्ण संशोधन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

18 कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के बाद अपनी रिपोर्टें में संशोधन किया।

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	संशोधन का स्वरूप
1.	बोकारो विद्युत आपूर्ति कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड	आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित एसए-700 के अनुसार संशोधित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट ने प्रस्तुतिकरण के फार्मेट को सुधारा
2.	भारतीय केन्द्रीय आस्ति प्रतिभूतिकरण पुनर्गठन और प्रतिभूति हित रजिस्ट्री	निम्नलिखित पर आधारित पैरा को सम्मिलित करने हेतु लेखापरीक्षा रिपोर्ट को संशोधित किया (i) वित्तीय विवरण तथा लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व हेतु प्रबन्धन की जवाबदेही। (ii) अन्य कानूनी तथा नियामक आवश्यकताएं।
3.	डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	सीएआरओ संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित करने के लिए रिपोर्ट को संशोधित किया (i) वस्तु-सूची का भौतिक सत्यापन (ii) लागत रिकॉर्ड का अनुरक्षण।
4.	एन्नोर पोर्ट लिमिटेड	लाभांश की वृद्धि से संबंधित वार्षिक लेखों के संशोधन को सम्मिलित करने के लिए रिपोर्ट को संशोधित किया गया
5.	हैवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन	लेखापरीक्षक की संशोधित रिपोर्ट: (i) नकद प्रवाह विवरण पर राय को सम्मिलित किया गया। (ii) एसए-700 के अनुसार रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण के मसौदे को ठीक किया गया।
6.	हाई स्पीड रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड	संशोधित एसए-700 के अनुसार संशोधित रिपोर्ट नये मसौदे में प्रस्तुत की गई।
7.	हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड	निम्नलिखित को सम्मिलित करने के लिए रिपोर्ट को आशोधित किया गया: (i) ₹ 3.42 करोड़ राशि के प्रतिलेखन एसआरएफ लिमिटेड के पूँजीगत अग्रिम के लिए ऋणदाताओं को एस-10 के अन्तर्गत

		<p>यथा अपेक्षित सम्बन्धित परिसम्पत्ति के मूल्य से राशि को कम करने के स्थान पर 'अन्य गैर-प्रचालित आय' में दर्शाया यदि राशि को सम्बन्धित परिसम्पत्ति के मूल्य से प्रतिलेखित कर दिया जाता तो लाभ इस वर्ष के लिए हानियों को ₹ 2.47 करोड़ तक कम करेगा।</p> <p>(ii) वर्ष की समाप्ति पर कम्पनी की संचित हानियाँ इसकी निवल सम्पत्ति से 50 प्रतिशत से अधिक थीं। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानियाँ वहन की थी परन्तु पिछले वित्तीय वर्ष में नकद हानियाँ वहन नहीं की थीं। कम्पनी बीआईएफआर की योजना के तहत थी, और इसलिए रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अनुसार एक रूग्ण कम्पनी थी।</p>
8.	एचपीसीएल बायोफ्यूल लिमिटेड	अचल सम्पत्तियों के गलत शामिल करने तथा उत्पाद शुल्क के लिए लेखांकन से सम्बन्धित निष्कर्षों को सम्मिलित करने के लिए रिपोर्ट को संशोधित किया गया था। े
9.	इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	<p>(i) संशोधित एसए-700 के अनुसार संशोधित रिपोर्ट नये फार्मेट में प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>(ii) नगद प्रवाह विवरण से संबंधित राय को रिपोर्ट में शामिल किया गया था।</p>
10.	कच्छ रेलवे कम्पनी लिमिटेड	संशोधित एसए-700 के अनुसार संशोधित रिपोर्ट नये फार्मेट में प्रस्तुत की गई थी।
11.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	संशोधित राय को उप-ठेकेदारों को प्रेषण के संबंध में राजस्व की स्वीकृति के संबंध में शामिल किया गया था जो एसए-7 को अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थी।
12.	नाबार्ड फाईनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड	बैंक जमा पर अर्जित ब्याज के कारण नोट 17 एवं 19 तथा नकद प्रवाह विवरण संशोधित किया गया था।
13.	एनएचपीसी लिमिटेड	<p>रिपोर्ट को निम्नलिखित के लिए संशोधित किया गया था</p> <p>(i) 'स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट' के रूप में रिपोर्ट का शीर्षक शामिल करने के लिए</p> <p>(ii) विवादों के कारण जमा न किए गए सांविधिक प्राप्यों की राशि में ₹ 329.63 करोड़ से ₹ 328.41 करोड़ परिवर्तन किया गया।</p>
14.	एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2008-09 से संबंधित ₹ 4.19 लाख के प्राथमिक व्यय उपलब्ध कराए जाने के पश्चात् रिपोर्ट संशोधित की गई जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए कर के पश्चात् ₹ 1.22 लाख की निवल हानि हुई।
15.	रेलटेल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	<p>निम्नलिखित को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया:</p> <p>(i) रिपोर्ट के प्रेषित (सदस्य)।</p> <p>(ii) नकद प्रवाह विवरण के मामले में उचित एवं निष्पक्ष विचार से सम्बन्धित राय।</p> <p>(iii) कम्पनी अधिनियम की धारा 441ए के तहत भुगतान योग्य</p>

		उपकर की अधिसूचना। (iv) धर्मार्थ न्यास के गठन में विफलतर के संबंध में रिपोर्ट। (v) ₹ 4.69 करोड़ के मध्यस्थता पंचाट का विवरण।
16.	राजस्थान इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रुमेंट लिमिटेड	संशोधित एसए-700 के अनुसार रिपोर्ट को नए फॉर्मेट में प्रस्तुत किया गया था।
17.	सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड	संशोधित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (i) नकद प्रवाह विवरण पर राय को शामिल करना। (ii) एसए-700 के अनुसार रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के फॉर्मेट को ठीक किया गया।
18.	सेल रिफ्रेस्टरी कम्पनी लिमिटेड	“लेखापरीक्षक के रिपोर्ट प्वाइन्ट (IX) (क) के अनुबन्ध में यह शामिल किया गया था, कि 1975 से 1991 की अवधि के लिए रायल्टी पर स्थानीय उपकर पर ब्याज को छोड़कर ₹ 4.28 करोड़ की राशि को उपयुक्त प्राधिकारी के पास जमा नहीं कराया गया था।”

2.5.3 सरकारी कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक के रूप में जारी सीएजी की टिप्पणियाँ
सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2012-13 के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात सीएजी ने पूरक लेखापरीक्षा की और सरकारी कंपनियों के लेखाओं पर जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं।

❖ सूचीबद्ध कंपनियाँ

लाभप्रदता पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कम्पनी अधिनियम, 1956 की संशोधित VI की अपेक्षाओं का उल्लंघन करते हुए वर्ष के दौरान आयात निर्यात आकस्मिक आरक्षित से निकाली गई ₹ 95.96 करोड़ की राशि को आरक्षित एवं अधिशेषों के लागू लाईन मद के स्थान पर लाभ एवं हानि विवरण के तहत दर्शाया गया था। इस प्रकार, वर्ष के लिए कर से पहले ₹ 14.42 करोड़ के लाभ के बजाए, ₹ 81.54 करोड़ की हानि हुई थी। ‘पूर्व अवधि समायोजन निवल’ में मैसर्स लिंकन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2000 किया स्वर्ग के आयात के लिए जो आदेश के कार्यान्वयन के बिना की निरस्त किया गया, एक आदेश से संबंधित यूएसडी 100 मिलियन के अग्रोषण कवर के प्रति ₹ 31.94 करोड़ की आय को शामिल नहीं किया गया।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
बीईएमएल लिमिटेड	अल्पकालिक ऋण एक अग्रिम विस्तारित सुपुर्दगी अवधि के दौरान तथा सुपुर्दगी अवधि को विस्तारित करते समय निर्धारित किये गए खण्डन खण्ड के आधार पर ग्राहकों द्वारा अस्वीकृत प्रभावी सुपुर्दगियों के लिए कम्पनी द्वारा किये गए करों एवं उदग्रहणों की बढ़ती दरों की वजह से ₹ 8.18 करोड़ को संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान में सम्मिलित नहीं किया गया।
आईटीआई लिमिटेड	अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम (वसूलीयोग्य दावे एवं व्यय) 2005-06 से 2010-11 तक की अवधि से संबंधित किराये का प्रावधान न होनेके कारण सी-डॉट से वसूली योग्य ₹ 58.48 करोड़ अधिक बताए गए थे। वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के लिए किराये के संग्रहण के सम्बन्ध में अनिश्चितता कम्पनी द्वारा मानी गई थी। सांविधिक लेखापरीक्षक ने भी स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में अपनी राय भी व्यक्त की थी। कम्पनी ने वर्ष 2012-13 में पिछले वर्षों से संबंधित किराये के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कम्पनी ने अपने आश्वासन पर कार्य नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप दावे एवं व्यय वसूली योग्य इन्लैण्ड अधिक बताए गए एवं देनदार/अग्रिम (अन्य व्यय) के लिए प्रावधान कम किया गया।
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) से वसूली योग्य राशि एवं को भुगतान योग्य राशि क्रमशः ₹ 36097.39 मिलियन एवं ₹ 16345.13 मिलियन बताई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप बीएसएनएल से ₹ 19752.36 मिलियन की निवल वसूली योग्य राशि का पता चला। तथापि, वर्ष के लिए बीएसएनएल के वार्षिक लेखाओं के अनुसार कम्पनी से वसूली योग्य राशि तथा को देय राशि क्रमशः ₹ 33345.37 मिलियन तथा ₹ 9774.70 मिलियन थी जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी से ₹ 23570.67 मिलियन की निवल वसूली योग्य राशि का पता चला। इस प्रकार, उसी मंत्रालय के अन्तर्गत इन दो सरकारी कम्पनियों के बीच वसूली योग्य देय राशि में ₹ 43322.93 मिलियन का निवल अन्तर था।
एमएमटीसी लिमिटेड	इण्डियन कोमोडिटी एक्सेचेंज लिमिटेड (आईसीईएक्स) जिस में आरंभ से ही भारी हानि थी जिससे 2012-13 तक इसकी शेयर पूँजी का 74 प्रतिशत क्षरण हो गया था, एवं प्रबन्धन की अपनी संभावना के अनुसार निकट भविष्य में किसी लाभ की संभावना के बिना गैर चालू निवेश में ₹ 26 करोड़ का निवेश शामिल था। एएस-13 के अनुसार निवेश के मूल्य में कमी के लिए ₹ 19.17 करोड़ की राशि के लिए एक प्रावधान का सृजन किया गया चाहिए।
दी स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	'दीर्घ अवधि व्यापार प्राप्यों में विदेशी क्रेताओं से वसूली योग्य ₹ 788.71 करोड़ की राशि सम्मिलित थी जिसके संबंध में क्रेडिट को वर्ष 2007 से 2010 के दौरान एक्विजम बैंक द्वारा बढ़ाया गया था जिसके

	प्रति कम्पनी के पास ₹ 348.62 करोड़का एक तदुसार क्रेडिट शेष था। कम्पनी ने एक्जिम बैंक को पहले से ही भुगतान की गई राशि के प्रति ₹ 108.01 करोड़ का प्रावधान किया। यह राशि क्रेताओं के प्रति कोई कानूनी कार्यवाही किये बिना तीन वर्षों से अधिक समय तक लम्बित रही थी जैसा कि प्राप्यों की ऐसी वसूली संदेहास्पद थी एवं लेखाओं में ₹ 332.08 करोड़ के प्रावधान की आवश्यकता था।
--	--

प्रकटन पर टिप्पणियाँ

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	लेखा टिप्पणियों के पैरा 20(ई) में यह प्रकटित किया गया था कि संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने पत्र सं. 40-29/2002-पेन(टी) दिनांक 29 अगस्त 2002 के द्वारा एमटीएनएल में समाहित किये गए सरकारी कर्मचारियों को परिवार पेंशन सहित पेंशन लाभ का भुगतान करने की सैद्धांतिक सहमति दर्शाई थी। पेंशन की सरकारी योजना का विकल्प दिया उसकी अदायगी सरकार द्वारा की जाएगी। एमटीएनएल में समाहित किए गए सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी पेंशन निधि के सृजन के लिए सरकारी अंशदान के रूप में जनवरी 2013 में ₹ 59250.50 मिलियन की राशि की डीओटी के लिए गणना की गई और सूचितकी गई थी। दावा की गई राशि के रूप में ₹ 13502.30 मिलियन की राशि को लेखागत किया गया था। तथापि, ₹ 59250.50 मिलियन की राशि को शामिल करके ₹ 46895.20 मिलियन की राशि के ब्याज को लेखागत नहीं किया गया था। क्योंकि प्रशासनिक मंत्रालय से ब्याज दावे पर कोई स्पष्टता नहीं थी। नोट इस सीमा तक त्रुटिपूर्ण था।

❖ गैर सूची कम्पनियाँ

लाभकारिता पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
फर्टीलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	चालू वर्ष के लिए 'आय' के रूप में 2012-13 के लिए गैर संबंधित लाभ वचनबद्धता शुल्क प्राप्यों के गलत लेखाकरण के कारण अपवादात्मक एवं असामान्य मदों तथा कर से पहले ₹ 25.00 करोड़ तक अधिक बताया गया था।
हिन्दुस्तान ऐयरोनोटिक्स लिमिटेड	• प्रचालनों से राजस्व-इनलैण्ड बिक्री (तैयार माल) ₹ 820.13 करोड़ राशि के 15 एडवान्सड लाइट हेलीकॉप्टरों की बिक्री संकेतन प्रमाणपत्रों के आधार पर मान्य बताई गई थी। इन मामलों में, क्रेताके निरीक्षण द्वारा केवल प्रमाणीकरण किया गया था परन्तु जैसा कि संविदा में निर्धारित किया गया था, अधिकारी मण्डल द्वारा हेलीकोप्टरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना एवं

	<p>स्वीकरण 31 मार्च 2013 तक पूरी नहीं किया गया था। अतः सभी महत्वपूर्ण जोखिमों एवं स्वामित्व के सभी परिणामों सहित क्रेता को माल के हस्तांतरण के बिना इन 15 हेलीकॉप्टरों के संबंध में राजस्व की मान्यता वर्ष के दौरान एएस-9 के अनुपालन में नहीं थी।</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्रचालानों से राजस्व – इनलैण्ड बिक्री (विकसित माल) में निम्न सम्मिलित है। <p>क) रक्षा मंत्रालय के लिए लाईट काम्बैट हेलीकॉप्टर के डिजाईन एवं विकास पर वहन की गई राशि को पूरे किये गए माइलस्टोन के बजाए व्यय के वास्तविक वहन के आधार पर बिक्री के रूप में मान्य की गई – ₹ 18.50 करोड़।</p> <p>ख) एमटीए लिमिटेड, एक रूसी-भारतीय संयुक्त उद्यम कम्पनी द्वारा विकसित किये जाने वाले बहुउद्देशीय परिवहन एयरक्राफ्ट के प्रारंभिक डिजाईन केवल तभी उत्पन्न होते हैं जब कार्य पूरा एवं स्वीकृत हो जाता है - ₹ 8.70 करोड़।</p>
<p>हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सल्टेशन</p>	<ul style="list-style-type: none"> • प्रतिभूति जमा तथा ब्याना राशि के समायोजन के बाद सड़क निर्माण विभाग, बिहार तथा पूर्व केन्द्रीय रेलवे द्वारा भुनाई गई बैंक प्रतिभूति से अधिक होने की वजह से अशोध्य एवं संदिग्ध वसूली के प्रति कम प्रावधानों के कारण अन्य व्यय ₹ 0.66 करोड़ तक कम बताए गए थे। परिणामस्वरूप वर्ष के लिए हानि भी जितना उसी राशि तक बताई गयी थी। • निम्नलिखित के कारण वित्तीय लागत कम बताई गई थी:- <p>(i) वीआरएस ऋण पर भारत सरकार द्वारा दी गई संस्वीकृति से अधिक ब्याज सहायता का लेखाकरण ₹ 8.89 करोड़।</p> <p>(ii) भारत सरकार को देय गारंटी फीस तथा शास्ति का गैर-भुगतान ₹ 1.84 करोड़।</p>
<p>इण्डियन इग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड (2010-11)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • चालू देयताओं (अन्य देयताएँ) में भारत सरकार को देय गारन्टी ₹ 56.33 करोड़ फीस को शामिल किया गया। प्रतिभूति करार की शर्तों के अनुसार, कोई गारन्टी फीस देय नहीं थी। • 31 मार्च 2011 को ऋणिकेस, हैदराबाद एवं गुडगाँव ईकाईयों के संबंध में सीआईएसएफ को देय ब्याज के लिए ₹ 11.62 करोड़ की कुल माँग उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इस पर 2008-09 तथा 2009-10 में भी ध्यान दिया गया था।
<p>एमएसटीसी लिमिटेड</p>	<p>व्यापार प्राप्य तीन वर्षों से अधिक से देय स्वर्ण निर्यात के प्रति बकाया राशि के लिए प्रावधान करने के कारण ₹ 589.63 करोड़ तक अधिक बता गए थे। इसके लिए प्रावधान करना कर से पहले ₹ 193.40 करोड़ के लाभ को ₹ 396.23 करोड़ की हानि में बदल देगा।</p>
<p>रेलटेल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया</p>	<p>कर्मचारी लाभ व्यय में ₹ 1.58 करोड़ के निष्पादन सम्बन्धित वेतन</p>

लिमिटेड	के प्रति प्रावधान को सम्मिलित नहीं किया गया।
---------	--

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
अन्तरिक्ष कार्पोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2011-12 के लिए वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान आश्वासन के बावजूद, कम्पनी ने यथा अपेक्षित सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के तहत ₹ 9.96 करोड़ की राशि की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निधि का सृजन नहीं किया था। अन्य चालू देयताओं में ₹ 7.57 करोड़ तथा उस पर ब्याज के रूप में ₹ 1.42 करोड़ की राशि को जनवरी 2009 से मार्च 2013 तक की अवधि के लिए सेवा कर को सम्मिलित नहीं किया था।
भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	कम्पनी ने यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फण्ड जो नेशनल आप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट का प्रबन्ध करने हेतु दूरसंचार विभाग के तहत था, से निधियाँ प्राप्त की थी। कम्पनी ने इन निधियों के अस्थाई निवेश पर ₹ 1.85 करोड़ का ब्याज अर्जित किया एवं इसे 'अन्य आय' के रूप में इसी में लेखांकित किया।
भारत संचार निगम लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> चालू खाते पर महानगर टिप्पणी टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) से वसूली योग्य राशि एवं को देय राशि क्रमशः ₹ 3334.54 करोड़ एवं ₹ 977.47 करोड़ बताई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप एमटीएनएल से ₹ 2357.07 करोड़ की निवल वसूली योग्य राशि का पता चला। तथापि, वर्ष के लिए एमटीएनएल के अनुमोदित लेखाओं के अनुसार, कम्पनी से वसूली योग्य राशि एवं को देय राशि क्रमशः ₹ 3609.74 करोड़ तथा ₹ 1634.51 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप बीएसएनएल से ₹ 1975.33 करोड़ की निवल वसूली योग्य राशि का पता चला। इस प्रकार, उसी मंत्रालय के अंतर्गत इन दो सरकारी कम्पनियों के बीच प्राप्त/देय राशि में ₹ 4332.30 करोड़ का निवल अन्तर था। यद्यपि, मामले पर 2001-2002 से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कई बार टिप्पणियाँ की गई थी, इससे यह स्पष्ट है कि उचित कार्रवाई नहीं की गई और अन्तर वर्षदर वर्ष बढ़ रहा था, जिसका तत्काल समाधान करने की आवश्यकता है। अगले वर्ष अर्थात् 2013-14 से संबंधित अग्रिम किराये के लिए उद्भूत ₹ 913.61 करोड़ राशि के बिलों को 'व्यापार प्राप्यों' एवं 'पेशगी में प्राप्त आय' के रूप में लेखांकित किया गया था। सरकारी विभागों/कम्पनियों से वसूली योग्य राशि कम्पनी की लेखांकन निति के उल्लंघन में दो वर्षों से अधिक समय से बकाया रहे अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करने के कारण ₹ 3059.95 करोड़ तक अधिक बताई गई थी। ₹ 1795.82 करोड़ के अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान 'अन्यचालू परिसम्पतियों' के बजाए 'व्यापार प्राप्यों' के तहत दर्शाया जा रहा था।

फ्रेश एण्ड हेल्ड इण्टरप्राइजेज लिमिटेड	रेफ्रिजरेशन एवं इलैक्ट्रोकेल मशीनरी सहित संयंत्र एवं मशीनरी,ए नियंत्रित वातावरण संयंत्र, मूल्यहास 5.28 प्रतिशत के स्थान पर 4.75 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध कराया गया था, जिसके परिणामस्वरूप संयंत्र एवं मशीनरी तथा आंतरिक्ष एवं अधिशेष प्रत्येक का निवल खण्ड ₹ 1.15 करोड़ तक अधिक बताया गया था।
हसन मंगलौररेल डेवेलोपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • अन्य आय में दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा की बिक्री का मूल्य होने की वजह से ₹ 0.49 करोड़ को सम्मिलित नहीं किया गया था। • अचल परिसम्पत्तियों के तहत बीपीएवी प्रभार्य के गठन के प्रति वहन किया गया ₹ 0.56 करोड़ का व्यय 'व्यय के तहत शामिल किया गया था।
हिन्दुस्तान ऐयनोनाटिक्स लिमिटेड	अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियों में 12 माह से अधिक के लिए बैंको के पास शेषों के प्रति ₹ 5750 करोड़ को शामिल किया गया है।
हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	अन्य आय में लेण्डिंग प्लेटफार्म डॉक के निर्माण हेतु मशीनरी एवं अवसंरचना के नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन योजना के लिए भारत सरकार से प्राप्त हुई उपयुक्त निधियों पर ब्याज के प्रति ₹ 30.91 करोड़ को शामिल किया गया है।
हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड	व्यापार प्राप्यों में भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड के बोकरो स्टील संयंत्र (बीएसएल) एवं दुर्गापुर स्टील संयंत्र (डीएसपी) से प्राप्य की राशि के रूप में ₹ 48.19 करोड़ को शामिल किया गया है। तथापि बीएसएल एवं डीएसपी ने अपने खातों में ₹ 23.62 करोड़ कंपनी को देय दर्शाया हैं। अन्तर के समाधान की आवश्यकता है।
एचएलएल वायोटेक लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210(1) तथा 210(3) के उल्लंघन में, लाभ एवं हानि लेखा तैयार नहीं किया। • प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं में 31 मार्च को पूँजीगत प्रतिबद्धता के कारण ₹ 126.50 करोड़ की शामिल नहीं किया गया।
मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड	वन एवं काले मृग संरक्षण क्षेत्र के चारो तरफ 100 मीटर चौड़े हरित बेल्ट के विकास के प्रति व्यय का प्रावधान न करने के कारण लघु अवधि प्रावधान तथा दीर्घ अवधि प्रावधान क्रमशः ₹ 1.45 करोड़ तथा ₹ 2.33 करोड़ तक कम बताए गए थे।
मुम्बई रेलवे विकास कार्पोरेशन लिमिटेड	'अन्य दीर्घ अवधि देयताओं' के तहत दर्शाई गई प्रयुक्त कुल मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी) निधियों में 'कार्पोरेशन की अपनी निधि' से अन्य एमयूटीपी कार्यों पर वहन किये गए ₹ 4.57 करोड़ के व्यय को शामिल किया गया है। क्योंकि यह राशि न तो रेल मंत्रालय (एमओआर) एवं न ही महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) से वसूली योग्य थी। इसलिए एमओआर/जीओएम से प्राप्त हुई एमयूटीपी निधियों के प्रति प्रयुक्त एमयूटीपी निधियों के रूप में इस व्यय को लेखांकन गलत था तथा कम्पनी की अपनी विशिष्ट लेखांकन नीति सं. 8 का उल्लंघन था।
नेशनल इंफ्रामैटिक्स सेन्टर	• स्थाई परिसम्पत्ति (मूर्त सम्पत्ति) में एस 10 तथा एस 19 के

सर्विस इंक	<p>उल्लंघन में, परिचालन पट्टे पर लिए एक भवन के सुधार पर वहन किये गए व्यय के गलत पूँजीकरण के कारण ₹ 0.74 करोड़ को शामिल किया गया था।</p> <ul style="list-style-type: none"> • अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियों (संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान) में दीर्घ अवधि व्यापार प्राप्यों पर ₹ 0.99 करोड़ के अधिक प्रावधान को शामिल किया गया था। • 12 माह से अधिक की परिपक्व अवधि सहित ₹ 177.25 करोड़ की स्थाई जमाओं को चालू परिसम्पत्तियों (नकद एवं नकद के समान) के तहत प्रकटित नहीं किया गया था। • वास्तविक व्यय के बजाए प्राप्त हुए अनुदानों/अग्रिमों के आधार पर प्रशासनिक प्रभारों के लेखांकन के कारण प्रचालनों (प्रशासनिक प्रभारों) से राजस्व ₹ 7.98 करोड़ तक अधिक बताया गया था। • 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए वार्षिक अनुरक्षण प्रभारों के लिए प्रावधानों न करने के कारण सेवा सहायक व्यय ₹ 0.40 करोड़ तक कम बताए गए थे।
नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्सट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • अचल सम्पत्ति (मूर्त सम्पत्ति) में प्रगति में चालू पूँजी कार्य के कारण ₹ 2.79 करोड़ की राशि को शामिल किया गया जिसे कम्पनी अधिनियम, 1956 की संशोधित अनुसूची VI के तहत यथा अपेक्षित अलग से दर्शाया जाना चाहिए। • नकद एवं बैंक शेष (अनुसूचित बैंकों के साथ अन्य शेष) में एक साल (12 माह) से अधिक की परिपक्व अवधि वाले तथा प्रतिभूति जमा/बैंक गारन्टी के लिए बैंको/परियोजना प्राधिकारण को गिरवी रखते हुए ₹ 0.74 करोड़ की स्थाई जमाओं को शामिल किया गया। इसे 'अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियों' के रूप में दर्शाया जाना चाहिए क्योंकि स्थाई जमाओं पर पहला प्रभार बैंक/परियोजना प्राधिकरण के पास था।
रेलटेल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • अन्य चालू देयताओं में राजस्व शेयरिंग व्यय के लिए रेलवे, दूरसंचार विभाग तथा कौकण रेलवे को देय ₹ 50.63 करोड़ को शामिल किया गया जिसे कम्पनी अधिनियम की संशोधित अनुसूची VI के अनुसार व्यापार देय में सम्मिलित किया जाना चाहिए। • दीर्घ अवधि प्रावधानों में कम्पनी के प्रति निपटान किए गए मध्यक्षता दावे के प्रति ₹ 1.94 करोड़ का शामिल किया गया। इसे वर्तमान देयता के तहत दर्शाया जाना चाहिए था।
त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड (2011-12)	<p>व्यापार प्राप्यों (आशोध्य जो अच्छे माने गए) में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है जिसकी वसूली संदेहास्पद है:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) रंजीत सागर बाँध के निर्माण सम्बन्धी दावे – ₹ 4.06 करोड़ (ii) 1980 से 1987 के दौरान ईराक में कार्यान्वित परियोजनाओं संबंधी दावे – ₹ 2.29 करोड़

प्रकटन पर टिप्पणियाँ

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सर्टकशन लिमिटेड	<p>आक्समिक देयताएं निम्नलिखित के कारण ₹ 20.82 करोड़ तक अधिक बताई गई थी।</p> <ul style="list-style-type: none"> • मैसर्ज कादूर – चिकमंगलूर न्यू बीजी लाइन ट्विस के ₹ 6.16 करोड़ के दावों को शामिल करना • वसूलीयोग्य के रूप में न्यायालयों में कंपनी द्वारा दावा किए गए ₹ 14.21 करोड़ का गलत समावेश • न्यायालय द्वारा रद्द ब्रिज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के ₹ 1.15 करोड़ के दावे का गलत समावेश • दक्षिण पूर्व रेलवे (बोकारो यूनिट) द्वारा दावा किए गए ₹ 0.70 करोड़ को शामिल न करना।
मुम्बई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड	<p>एमयूटीपी परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु समझौता जापान के अनुसार, निधियों को रेल मंत्रालय तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार अपने हिस्से की ₹ 270.38 करोड़ की धनराशि की निधियों को उपलब्ध कराने में विफल रही। कंपनी द्वारा इस तथ्य को प्रकट नहीं किया गया था।</p>
नेशनल प्रोजेक्ट्स कनस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • नकद एवं बैंक बकाया (वर्तमान खाता) में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने एवं सड़क कार्यों, भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ-साथ सीमा सुरक्षा बल हेतु फ्लड लाइटिंग तथा सीमा चौकियों के निर्माण के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त हुए ₹ 108.25 करोड़ को शामिल किया गया था। समर्पित परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु रखी राशि को उपयुक्त रूप से दर्शाया नहीं किया गया। • पूँजी खाते पर निष्पादन किए जाने वाली शेष ठेके की अनुमानित राशि ₹ 2.79 करोड़ के बजाए ₹ 0.45 करोड़ थी जैसाकि लेखों की टिप्पणी में गलती से दर्शाया गया है (टिप्पणी संख्या 26)।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

कम्पनी का नाम	टिप्पण
डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (15 नवम्बर 2011 से 31 दिसम्बर 2012) (1 जनवरी 2013 से 31 मार्च 2013)	<p>यह आपत्ति कि टिप्पणी पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड द्वारा व्यय किए गए तथा आबंटन के रूप में जनशक्ति तथा अन्य प्रशासनिक अपरिव्यय से सम्बन्धित व्यय न तो अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण अथवा निर्माण हेतु स्पष्ट रूप से आरोप्य है और न ही सामान्य निर्माण हेतु आरोप्य बताए जा सकते कार्यकलाप क्योंकि निर्माण अभी प्रारम्भ होना था जो सही नहीं था क्योंकि व्यय विशिष्ट रूप से प्रयोजन वाहन के रूप में गठित कंपनी द्वारा निष्पादन होने वाले ट्रांसमिशन परियोजना के लिए आरोप्य थी। यह खर्च व्यय पीएफसी</p>

	कंसल्टिंग लिमिटेड द्वारा भावी बोलीदाता से वसूली योग्य थे जिसे बोलीदाता के चयन पर कंपनी को स्थानांतरित किया जाएगा।
एचएमटी चिनार वाजिज लिमिटेड	31 दिसम्बर 2009 को आयोजित बैठक में सचिवों की समिति (सीओएस) ने एचएमटी चिनार वाजिज लिमिटेड, श्रीनगर की भूमि को छोड़कर परिसम्पत्तियों की नीलामी तथा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के ब्यूरो की सिफारिशों के दृष्टिगत शेष कर्मचारियों को राहत देने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) शुरू करने के लिए भारी उद्यम विभाग (डीएचआई) को निर्देश दिए। सीओएस के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए प्रबन्धन द्वारा की गई कार्यवाही का कर्मचारी संघ द्वारा विरोध किया गया तथा मामला जम्मू एवं कश्मीर के माननीय उच्च न्यायालय में लंबित था और 'वन गो' तथा कंपनी बंद होने में शेष कर्मचारियों के वीआरएस हेतु प्रबंधन/डीएचआई तथा कंपनी के कर्मचारी संघ के बीच वार्ता चल रही थी। इसका 'नोट्स टू अकाउंट' अथवा सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया था।
नेशनल इनफोर्मेटिक्स सेन्टर सर्विसिज इंक	रिपोर्ट में दिया गया विवरण कि कंपनी ने नेशनल डॉटा सेन्टर से किसी राजस्व को स्वीकृति कंपनी ने नेशनल डॉटा सेन्टर से सुविधा प्रभागों के रूप में ₹ 0.47 करोड़ का राजस्व को मान्यता दी थी, गलत था।
राइट्स इनफ्रास्ट्रक्चर सर्विसिज लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का प्रारूप एसए-700 (संशोधित) के अनिवार्य प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। लाभ तथा हानि के विवरण ने वर्ष के लिए हानि दर्शायी जबकि लेखापरीक्षक ने अपनी राय में उसे वर्ष के लिए लाभ बताया है।
त्रिवेणी स्ट्रेक्चरल लिमिटेड (2011-12)	<p>कम्पनी के वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के लिए लेखा टिप्पणी के साथ पठित सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में संदर्भित ₹ 368.74 करोड़ के ब्याज के प्रति प्रावधान न करने के प्रभाव स्वरूप वर्ष के लिए हानि ₹ 368.74 करोड़ के बजाए ₹ 138.65 करोड़ तक बढ़ गयी थी जैसा कि सेवा सांविधिक लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है। वर्ष की हानि (₹ 52.34 करोड़) सांविधानिक लेखापरीक्षक की सभी आप्तियों पर विचार करते हुए, ₹ 432.90 करोड़ की बजाए ₹ 202.81 करोड़ होगी।</p> <p>वर्ष के लिए ₹ 52.34 करोड़ से ₹ 202.81 करोड़ अर्थात् 287 प्रतिशत से अधिक के सूचित घाटे के बढ़ने के प्रभाव के मद्दे नजर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणीकरण कि 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कम्पनी की बैलेंस शीट तथा लाभ एवं हानि लेखा एक सही तथा उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं। धारणीय नहीं था।</p>

अन्य टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड	लेखांकन नीति 9.1 के अनुसार एयरक्राफ्ट एवं हेलीकॉप्टर के विनिर्माण अथवा मरम्मत एवं पूरी तरह मरम्मत के मामले में, बिक्री संकेतन प्रमाणपत्रों (एसओसी) के माध्यम से क्रेता के निरीक्षण द्वारा स्वीकरण के आधार पर ठेकागत कार्य के पूरा होने पर की गई थीं। इस प्रकार, एयरक्राफ्ट छूट तथा सीएटी बी इंजनों के साथ सिग्नता आउट किये गए थे ताकि 31 मार्च 2013 को सुपुर्दगी योग्य स्थिति प्राप्त करने योग्य बनाया जा सकें तथा राजस्व एसओसी के आधार पर मान्य हो। वर्तमान लेखांकन नीति जिसको कम्पनी द्वारा पालन किया गया, राजस्व की मान्यता के लिए एसओसी पर निर्भर करती है, को दोबारा देखने तथा पुनर्गठित करने की आवश्यकता है क्योंकि एसओसी भी महत्वपूर्ण छूटों के साथ दिये गए थे। एसओसी के अतिरिक्त राजस्व मान्यता के लिए आधार के रूप में सुपुर्दगी के लिए एयरक्राफ्ट की तैयारी पर भी विचार किया जाना चाहिए।
इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (2010-11)	जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आर एवं डी परियोजनाओं के लिए मार्च 1990 में भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) से प्राप्त हुआ अव्यसित सहायता अनुदान के सम्बन्ध में कम्पनी के लेखाओं पर 31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी सं. 1, में 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्षके लिए टिप्पणी ग तथा 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए टिप्पणी सं. ख(2) पर एक संदर्भ आमंत्रित किया गया है। अनुदान की शर्तों के अनुसार, कम्पनी के लिए अनुदान हेतु एक अलग से बैंक खाता बनाना आवश्यक था, एवं अव्यसित शेष सरकार को जाना था एवं निधियों को केवल अग्रणीत अथ्यर्पित किया राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड के विशिष्ट अनुमोदन के साथ किया जाना था। इसके डीबीटी को दी जानी थी एवं अनुदान की आगामी किस्तों के साथ समायोजित किया जाना था अथवा परियोजना की समाप्ति पर वापस किया जाना था। तथापि, 31 मार्च 2011 तक न तो अव्यसित शेष वापस लौटाया था और न ही अलग से बैंक खाता में रखा था।
मेजा उर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड	“सविदाओं के गैर कार्यान्वित मूल्य पर वृद्धि के प्रभाव पर विचार न करने के कारण एक व्यत्पन्न दस्तावेज द्वारा रक्षित न की गई विदेशी मुद्रा अरक्षिता अथवा अन्यथा को ₹ 319.05 करोड़ तक कम बताया गया थे।”

❖ गैर सूचीबद्ध मानी गई सरकारी कम्पनियाँ

प्रकटन पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
सेंट बैंक होम फाइनेन्स लिमिटेड	राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक द्वारा बनाए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार सृजित की गई गैर निष्पादित परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधानों के अतिरिक्त ₹ 1.01 करोड़ प्रकटन नहीं किया गया था।

❖ सांविधिक निगम जहाँ सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है।

सांविधिक निगमों जहाँ सीएजी एक मात्र लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करते हैं के लेखाओं पर सीएजी द्वारा जारी की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे ब्यौराबद्ध हैं

• भारतीय खाद्य निगम-वर्ष 2011-12 के लिए लेखा

- प्रबन्धन ने सीएजी द्वारा की गई आपत्ति के आधार पर ₹ 5755.21 करोड़ तक के अनन्तियों लेखाओं में संशोधन किया था। इसके अतिरिक्त इसमें ₹ 467.09 करोड़ की चूक पाई गई।
- उपरोक्त के आधार पर सीएजी द्वारा जारी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा आपत्ति का निवल प्रभाव निम्नवत है

- दो परियोजनाओं में किए गए हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर व्यय के गैर पूँजीकरण के कारण ₹11.90 करोड़ तक अचल परिसम्पत्तियाँ कम बतायी गई थीं।
- विविध देनदार ₹ 17.81 करोड़ तक अधिक बताये गए थे।
- प्राप्य दावे ₹ 29.56 करोड़ तक अधिक बताए गए थे।
- चालू देयताएँ ₹ 54.86 करोड़ तक अधिक बतायी गयी थी।

• भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(i) वित्त मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किए बिना 31.3.2010 तक भारत सरकार को देय 'नेट आफ टोल प्राप्तियों अनुदान पर व्यय के रखरखाव इत्यादि के प्रति चालू देयताओं पूंजी यू/एस 17 लेखा में अन्तरण के परिणामस्वरूप 'पूँजी – नेट ऑफ टोल कलेक्शन नकारात्मक अनुदान 31.03.2010 तक ₹ 6183.56 करोड़ तक कम बताया गया था और लेखा की उसी सीमा तक 31.03.2010 तक भारत सरकार को देय "टोल प्राप्तियाँ, अनुवाद पर अनुरक्षण व्यय" कम बताया गया था।

(ii) लाभ और हानि खाते में शेष जमा काल्पनिक थे (न तो वसूले गए न ही वसूली योग्य) जो एजेंसी प्रभार दर्शाते थे। आरक्षित और अधिशेष के अन्तर्गत उसी को दर्शाने के परिणामस्वरूप आरक्षित और अधिशेष के अधिक बताए जाने के साथ साथ कार्यकी प्रगति में पूंजी ₹ 411.99 करोड़ तक थी। इस मामले को 2010-11 और 2011-12 के दौरान भी उठाया गया था; तथापि, कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।

(iii) प्राधिकरण ने न तो सम्पूर्ण सड़क परियोजनाओं को पूँजीकृत किया और न एएस-6 के प्रावधानों के अनुसार उस पर मूल्यहास प्रभारित किया है चूँकि यह 1995 में परिचालन में आया था। पहले से पूरे किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों पर किया गया ₹ 69280.44 करोड़ का व्यय हुआ था और इसे आम जनता द्वारा प्रयोग किया जा रहा था और इसे तुलन पत्र में 'पूर्ण परियोजनाओं पर व्यय जिनका पूँजीकरण/अन्तरण प्रतीक्षित है के अन्तर्गत दर्शाया गया था। विस्तृत रिकार्डों को अभाव में, लेखापरीक्षा उन परिसम्पत्तियों की राशि की मात्रा निर्धारित नहीं कर सका जिन्हे अधिक बताया गया था और वर्ष के लिए हानि कम बताई गई थी।

(iv) प्राधिकरण ने एएस-16 के प्रावधानों के अनुसार परियोजना – वार उधार लागत तथा अप्रयुक्त उधार ली गई निधियों पर अर्जित ब्याज के अवधारण के लिए परियोजना वार उधार ली गई निधियों के प्रयोग तथा आबंटन के संबंध में कोई अभिलेख नहीं बनाया था। ₹ 5894.66 करोड़ की कुल उधार लागत तथा ₹ 5419.32 करोड़ की अप्रयुक्त निधियों पर अर्जित ब्याज केवल अचल सम्पत्तियों में समायोजित किया गया था।

(v) प्राधिकरण की लेखांकन नीति सं. 6.2 के साथ-साथ एएस-16 के उल्लंघन में "पूँजीकरण/हस्तांतरण की प्रतीक्षा कर रही पूरी की गई परियोजनाओं पर व्यय" के तहत बुक किए गए ₹ 865.54 करोड़ की राशि ₹ 1331.59 करोड़ की उधार लागत के शामिल थी। पूर्व वर्षों के लिए ब्यौरे के अभाव में लेखापरीक्षा उपर्युक्त शीर्ष में गलत रूप से बुक की गई। एसी उधारों लागतों की कुल राशि की निर्धारित करने में असमर्थ थी।

(vi) पूँजीगत कार्य प्रगति पर तहत पूँजीकरण/हस्तांतरण की प्रतीक्षा कर रही पूरी हो चुकी परियोजनाओं पर व्यय में एनएचएआई द्वारा 11 सड़क परियोजनाओं पर वहन की गई ₹ 4493.96 करोड़ की राशि शामिल है जो बीओटी आधार पर छह लोन तक सड़कों के उन्नयन के लिए टालिंग अधिकारों के साथ रिआयतियों को सौंपे जा चुके हैं।

(vii) वर्ष के लिए निवल स्थापना व्यय प्रगतिशील पूँजीगत कार्य को हस्तांतरित किया गया था जिसमें परियोजनाओं पर व्यय शेष को आवंटित ₹ 106.07 करोड़ की राशि को एएस10 के उल्लंघन में स्थापना व्यय में शामिल किया गया था।

(viii) प्रगतिशील पूँजी कार्य के तहत अप्रयुक्त पूँजी पर ब्याज में वर्ष के दौरान 11 सहायक कम्पनियों को दिये गए ऋण पर ₹ 124.44 करोड़के उपचित ब्याज (टीडीएस सहित) को शामिल किया गया है, जिसकी पी एंड एल खाते में आय के रूप में दर्शाने के बजाए प्रगतिशील पूँजी कार्य से कटौती की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 'प्रगतिशील पूँजी कार्य' ₹ 482.76 करोड़ तक कम बताए गए थे तथा वर्ष के लिए हानि ₹ 124.44 करोड़ तक अधिक फलस्वरूप 'बैलेंस शीट में ले जाए गए अधिशेष' ₹ 482.76 करोड़ तक कम बताए गए थे।

(ix) निवेश में दो सहायक कम्पनियों अर्थात् मुरादाबाद टोल रोड कम्पनी लिमिटेड तथा अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेसवे कम्पनी लिमिटेड में ₹ 345.21 करोड़ का निवेश सम्मिलित है, जहाँ सड़क परियोजना एवं टोल अधिकार अन्नयन के लिए रिआयतियों को क्रमशः दिसम्बर 2010 तथा जनवरी 2013 में हस्तांतरित किये जा चुके हैं।

तीन सहायक कम्पनियों अर्थात् विशाखापत्तनम पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड, कोचीन पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड एवं पारादीप पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड में किया गया ₹ 213.50 करोड़ का निवेश अपने निवल मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक का क्षरण करते हुए संचित घाटे के कारण अपनी कीमत में कम हो गया था।

(x) आरओबी के निर्माण के लिए रेलवे को तथा कार्य के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के लिए रियायतियों को दिए गए ₹ 51.61 करोड़ के अग्रिम "जमा कार्य के प्रति अग्रिम" के तहत शामिल किया गया था जबकि कार्य पूरा हो चुका था।

(xi) वसूली योग्य दावे ठेकेदारों/रियायतियों से अनुबन्ध, वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की प्राप्ति में विलम्ब के लिए हर्जाना, स्वतंत्र सलाहकारों के परिश्रमिक के शेर, विनेदक टोल प्रभारों तथा छीजन/दरों में विभिन्नता के कारण वसूली योग्य राशि के गैर-लेखांकन के कारण ₹ 6.72 करोड़ कम बताए गए थे।

(xii) सहायक कम्पनियों को ऋण में दो सहायक कम्पनियों अर्थात् मुरादाबाद टोल रोड कम्पनी लिमिटेड तथा अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रेसवे कम्पनी लिमिटेड को दिया गया ₹ 67.62 करोड़ का ऋण सम्मिलित है जहाँ सड़क परियोजना तथा टोल संग्रह अधिकार रियायतियों को दिये जा चुके हैं एवं उक्त ऋण की वसूली की कोई संभावना नहीं थी।

(xiii) आकस्मिक देयताएं प्राधिकरण के प्रति मध्यस्थता तथा विधिक मामलों में दावे को सम्मिलित न करने के कारण ₹ 1074.56 करोड़ तक कम बताई गयी थी।

(xiv) लेखाओं पर टिप्पणी की टिप्पणी सं. 26 (एफ) इस सीमा तक त्रुटिपूर्ण थी कि यह एनएचएआई बाण्ड संग्रहण आय की प्रयुक्त के साथ-साथ अप्रयुक्त निधियों के विवरण तुलन पत्र में नहीं दर्शाता जैसा की ₹ 10000 करोड़ के बाण्ड को जारी करने के लिए विवरणिका में प्रतिबद्ध किया गया था।

(xv) एनएचएआई नियमावली 1990 के तहत भारत के सीएजी के परामर्श से भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लेखाओं के वार्षिक विवरण के फॉर्मेट का पालन नहीं कर रहा था जिसे नीचे इंगित किया गया है:

- 'सड़क और पुल' के उप शीर्ष अनुसूचि 5 (अचल सम्पत्ति) को 31 मार्च 2013 को ₹ 69280.44 करोड़ की सड़क परियोजनाओं के पूरा होने के बावजूद प्रारंभ से ही खाली छोड़ा गया था जिसके लिए 5 प्रतिशत का मूल्यहास निर्धारित किया गया था। इसी को पूँजीगत प्रगतिशील कार्यों के तहत दर्शाया गया था।
- लाभ या हानि लेखा में अधिशेष/घाटे को तुलन पत्र में अग्रणीत किया जाना था तथापि प्राधिकरण ने 'अचल परिसम्पत्तियों-प्रगतिशील पूँजीगत कार्य' के तहत बुक की गई चालू व पूरी हो चुकी परियोजनाओं के लिए वर्ष के अन्त में लाभ एवं हानि लेखा में घाटे को दर्शाया था।

- राजमार्गों के रख रखाव के लिए सहायता अनुदान और उस पर व्यय को लाभ एवं हानि लेखा में लेखांकित किया जाना चाहिए था तथापि, प्राधिकरण ने पूँजी लेखा से इसे समायोजित किया (टोल रेमिटेंस के फ्लो बेक आदि)।

2.6 लेखांकन मानकों से विचलन

कम्पनी अधिनियम की धारा 2011 की उप-धारा (3सी) और धारा 210ए की उप-धारा (1) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से लेखांकन मानक पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के साथ परामर्श से केन्द्रीय सरकार ने भारतीय लेखाकार संस्थान द्वारा यथा संस्तुत लेखांकन मानक 1 से 7 और 9 से 29 को नियत किया।

सांविधिक लेखापरीक्षक ने सूचित किया कि परिशिष्ट IX में ब्यौराबद्ध 36 कम्पनियाँ अनिवार्य लेखांकन मानकों से विचलित हुईं।

तथापि, अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी ने पाया कि निम्नलिखित कम्पनियों ने अनिवार्य लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया था तथा उनके सवैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा दर्शाया नहीं गया था:

लेखांकन मानदण्ड	कम्पनी का नाम	विचलन
एएस-3 नकद प्रवाह विवरण	जे एण्ड के मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	कम्पनी को 'नकद प्रवाह विवरण' तैयार करने की आवश्यकता है क्योंकि यह छूट प्राप्त श्रेणी में नहीं आता।
	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कम्पनी लिमिटेड	तथ्य यह है कि बैंको से अल्पकालिक उधारों के प्रति प्रतिभूति के रूप में धारित ₹ 11.52 करोड़ की राशि आसानी से उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं थी जिसे उपयुक्त रूप से प्रकटित नहीं किया गया था।
एएस-5 पूर्व अवधि समायोजन	नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड	अशोध्य और सन्देहास्पद ऋणों के लिए वापस किए गए प्रावधानों को अपवाद मदों के रूप में प्रकटित नहीं किया गया था।
एएस-5 पूर्व अवधि समायोजन	प्राइज पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	विगत वर्षों के दौरान मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय की वास्तविक निश्चितता के पर्याप्त प्रमाण के अभाव के बावजूद बट्टे खाते में नहीं डाला गया था।
एएस-22	आस्थागित कर	
एएस-9	राजस्व मान्यता	एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इण्डिया ग्राहकों की ओर से/के लिए सेवा

		लिमिटेड (2011-12)	प्रदात्ता के रूप में परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जिसके लिए इसने परियोजना व्यय को अपने व्यय के रूप में एवं व्यय के साथ सेवा प्रभारों को अपने राजस्व के रूप में लेखांकित किया।
		हैन्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	₹ 4109.85 करोड़ राशि का स्वर्ण बिक्री को अपनी बिक्री के रूप में बुक किया गया था। आपूर्तिकर्ता तथा क्रेताओं के करार के अनुसार, प्रेषणआधार पर तथा केवल पूर्व निर्धारित अन्तर पर स्वर्ण आयात आय के रूप में बुक किया जाना चाहिए था।
एस-13	निवेश के लिए लेखांकन	आईएफसीआई लिमिटेड	निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान हेतु कोई लेखांकन नीति नहीं बनाई गई थी।
एस-15	कर्मचारी लाभ	रेल विकास निगम लिमिटेड	व्यय की मान्यता प्रोदभूत आधार पर होने के बजाए नकद आधार पर थी।
एस-26	अमूर्त सम्पत्ति	नेशनल फर्टीलाइजर लिमिटेड	कम्पनी ने पानीपत तथा भटिंडा इकाईयों के लिए भुगतान किए गए लाइसेंस शुल्क तथा अनुभव शुल्क को अमूर्त सम्पत्ति (संयंत्र एवं मशीनरी) शीर्ष के तहत पूँजीगत किया था।
		राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	कम्प्यूटर साफ्टवेयर, जो कि अमूर्त सम्पत्ति है, को गलत रूप से मूर्त सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
एस-29	प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ तथा आकस्मिक सम्पत्तियाँ	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड (2011-12)	मध्यस्थता मामले जहाँ मध्यस्थों ने कम्पनी के प्रति पंचाट दिया था, के कारण कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

2.7 प्रबन्धन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक लेखापरीक्षक और कॉरपोरेट इकाई के अभिशासन के उत्तरदायित्व वाले व्यक्तियों के बीच वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से व्युत्पन्न लेखापरीक्षा विषयों पर संवाद स्थापित करना है।

पीएसईज के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण आपत्तियाँ कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत सीएजी की टिप्पणियों के रूप में सूचित की गयी थी। इन टिप्पणियों के अलावा वित्तीय रिपोर्टों में अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रिया में सीएजी द्वारा पाई गई अनियमितताएँ अथवा त्रुटियाँ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रबन्धन पत्र के माध्यम से प्रबन्धन को भी संसूचित की गई थी। ये त्रुटियाँ सामान्यतया निम्नलिखित से सम्बन्धित थी-

- लेखांकन नीतियों और प्रथाओं को लागू और व्याख्या करना,
- लेखापरीक्षा के कारण किये गये समंजन जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सके और
- कतिपय किसी सूचना की अपर्याप्तता अथवा अप्रकटीकरण जिस पर संबंधित पीएसई के प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि आगामी वर्ष में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

वर्ष के दौरान सीएजी ने 53 कंपनियों को 'प्रबंधन पत्र' जारी किए।

2.8 सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की महत्वपूर्ण आपत्तियाँ

❖ सांविधिक निगम

वर्ष 2012-13 के लिए सांविधिक निगमों के लेखाओं पर उनके लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:

क्र. सं.	निगम का नाम	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
1.	सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन	<ul style="list-style-type: none"> • निगम ने संविदा में सभी दरों के शामिल होने के बावजूद, कुछ सम्हलाई और परिवहन संविदाकारों से सेवा कर के लेखा पर ₹ 12.39 करोड़ का भुगतान किया था। • ₹ 35.85 करोड़ की राशि वाले 64 पूर्ण स्वामित्व/पट्टा धारीभूमि साइटों के संबंध में अधिकार पत्र और ₹ 2.86 करोड़ राशि वाले 88 आवासीय फ्लैटों के संबंध में हस्तांतरण विलेख निगम के पक्ष में निष्पादन हेतु लंबित थे। • भूमि की लागत के ऋण परिशोधन/मूल्य ह्रास के संबंध में लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण, जिसे 90 वर्ष या अधिक समय से पट्टे पर लिया गया था और ऐसी भूमि पर

		<p>कंटेनर यार्ड/खुला क्षेत्र विकसित किया गया, से प्राप्त वर्ष का लाभ ₹ 10.65 करोड़ तक कम था।</p> <ul style="list-style-type: none"> • ₹ 20.32 करोड़ की पश्च सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ की अपरिशोधित विगत अवधि की लागत पहली अवधि के व्यय के रूप में प्रभारित किया गया था।
--	--	--

❖ सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां

वर्ष 2012-13 के लिए सांविधिक निगमों के लेखाओं पर उनके लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:

क्र. सं.	निगम का नाम	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
1.	चेन्नै पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • कंपनी 31 मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 1323.16 करोड़ की नकद हानि और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई। • अल्पावधि आधार पर प्राप्त ₹ 129.38 करोड़ की निधियां इस वर्ष के दौरान दीर्घ अवधि निवेश के लिए उपयोग किया गया है।
2.	कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	₹ 102.94 करोड़ मूल्य वाली भूमि और भवन के संबंध में विक्रय/पट्टा विलेख कंपनी के पक्ष में अभी भी किया जाना बाकी था।
3.	ट्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड के शेयरों में ₹ 30.00 करोड़ के निवेश में हानि को कंपनी द्वारा पहचाना नहीं गया और उपलब्ध नहीं कराया गया।
4.	ईस्टर्न इंवेस्टमेंट लिमिटेड	<p>i) कंपनी के कुछ विवाद थे और उसे इसे पर्याप्त सटीकता से निर्धारित किया जाना संभव नहीं था, जब भी निस्तारण का प्रभाव पड़ा और निम्नलिखित के संबंध में संभावित हानि हेतु किया जाना है:-</p> <p>क) ब्लॉक और विकास के अंतर्गत शामिल स्थायी परिपत्तियों के स्वामित्व के विवाद के संबंध में</p> <p>ख) रेलवे साइडिंग और नियंत्रण का भौतिक अस्तित्व।</p> <p>ii) ऑडल संपत्ति और सैंड्रा संपत्ति के भवन के संबंध में ब्लॉक और विकास पर मूल्यह्रास खातों में न तो सुनिश्चित किया गया, न ही उपलब्ध कराया गया।</p> <p>iii) लारेंस प्रोपर्टी, बौरिया, हावडा में 76.77 एकड़ के कुल भूमि क्षेत्र में से लगभग 27.58 एकड़ क्षेत्र भूमि को पश्चिम बंगाल सरकार ने अधिग्रहित किया और भूमि के शेष भाग के अधिग्रहण के लिए एक अधिसूचना भी प्राप्त की गई थी। ऐसे अधिग्रहण के प्रति मुआवजे की प्राप्ति के लिए कंपनी की अपील को जिला न्यायाधीश द्वारा कायम रखा गया था और भूमि के शेष भाग के अधिग्रहण के लिए शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त एक सूचना के निबंधन</p>

		<p>में कंपनी द्वारा भी अमान्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया था। भूमि वर्तमान में स्थानीय निवासियों के अनाधिकृत कब्जे में और कोई लेखांकन प्रभाव नहीं दिये गये थे।</p> <p>iv) लारेंस प्रोपर्टी पर किराये और उपकर के प्रावधान उपलब्ध नहीं कराये गये थे और सटीक राशि का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था।</p>
5.	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड	<p>(i) कंपनी ने संदिग्ध व्यापार प्राप्यों, संदिग्ध दीर्घ अवधि ऋणों और अग्रिमों आदि के संबंध में ₹ 67.87 करोड़ का प्रावधान नहीं किया था।</p> <p>(ii) कंपनी सांविधिक देयों को जमा कराने में नियमित नहीं थी।</p>
6.	हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • निम्नलिखित के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था: <ul style="list-style-type: none"> ➤ भारत सरकार से अतिदेय ऋण पर ₹ 8.30 करोड़ का शास्ति ब्याज ➤ ₹ 0.65 करोड़ राशि का कंपनी निधियों से गबन के कारण हानि, सीबीआई से लंबित अंतिम रिपोर्ट और दीवानी मुकदमे का परिणाम। ➤ रासायनी युनिट की वेतन की वेतन संशोधन पर देयताएं 01 जनवरी 1997 से 31 दिसम्बर 2000 अवधि के लिए ₹ 19.29 करोड़ और 01 जनवरी 2007 से 31 मार्च 2008 अवधि के लिए ₹ 3.14 करोड़ थी। ➤ पट्टा किराया और पट्टा भूमि पर वृद्धि, जल प्रभार और वे लीव प्रभार के संबंध में ₹ 11.38 करोड़ राशि का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का दावा। • जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट टैंक टर्मिनल परियोजना पर खर्च किए गए ₹ 29.79 करोड़ राशि शामिल पूँजीगत कार्य प्रगति पर जो स्थिर और अधूरा है। वसूली योग्य राशि के इस लंबित परिसंपत्ति के मूल्य में हानि को सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान नहीं किया था। • वर्ष के दौरान पूर्वावधि अदायगी/उपलब्ध कराए गए ₹ 493.79 करोड़ राशि के वेतन बकाया को पूर्व अवधि के खर्च के रूप में दर्शाए जाने चाहिए।
7.	एचएमटी लिमिटेड	<p>कंपनी ने ऋण और अग्रिम(लगभग ₹ 79.37 करोड़ देय) दिए और सहायक कंपनी एचएमटी चिनार वॉचेज़ लिमिटेड दीर्घ अवधि निवेश (लगभग ₹ 1.66 करोड़) सहायक की निवल संपत्ति समाप्त हो गई और इसको लगातार हानियां होती रहीं। इस प्रकार ऋणों और अग्रिमों की वसूली संदिग्ध थी और उक्त के लिए निवेश के मूल्य में पूरी तरह से गिरावट का गई थी और उसके लिए प्रावधान की आवश्यकता थी।</p>

8.	इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन	निम्नलिखित के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाये गये i) क्रमाशः निर्धारण वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए आय-कर ₹ 86.06 करोड़ और ₹ 36.76 करोड़ की देयता। ii) 2006-07 से 2009-10 के लिए निर्धारित ब्याज और जूर्माने सहित लगाये गये ₹ 10.88 करोड़ की सेवा कर मांग।
9.	महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • आईयूसी से भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) से लाइसेंस शुल्क जिसे वित्तीय वर्ष 2011-12 तक प्रौढभवन आधार पर तैयार किया गया था, वह लाइसेंस करार की शर्तों के विरुद्ध था जिसके अनुसार सकल राजस्व से व्यय/कटौतियां वास्तविक अदायगी आधार पर स्वीकृत की गई थीं, वर्ष 2012-13 से, डीओटी को देययोग्य लाइसेंस शुल्क लाइसेंस करार के निबंधन और शर्तों के अनुसार सख्ती से तैयार किया गया था। कंपनी वास्तविक देयता के स्थान पर आकस्मिक देयता के तरीके से उपरोक्त 2011-12 तक की अवधि के लिए प्रौढभवन आधार पर उक्त को तैयार करने से लाइसेंस शुल्क में अंतर को दर्शाती रही जिसके परिणामस्वरूप इस सीमा तक चाल देयताओं और हानियों के कम बताया गया। • डीओटी/बीएसएनएल से वसूली योग्य राशियां एक दूसरे के दावों से संबंधित विभिन्न लंबित विवादों का ध्यान रखते हुए सामंजस्य और प्रष्टिकरण के अधीन थी। • पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने में विलम्ब के कारण, ऐसे कुछ मामले थे जहां अचल संपत्तियों का पूंजीकरण टाल दिया गया। • कंपनी ने प्राक्कलित आधार पर पूंजीगत कार्यों के प्रति उपरिशीर्ष आबंटित की थी। • वर्ष के दौरान क्षति हानि के कारण कोई समायोजन नहीं माना गया था। वर्षों में हुई सतत् हानि के परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा की निवल संपत्ति का पूर्ण क्षरण और कंपनी द्वारा लगाई गई संभावनाओं की प्राप्ति में अनिश्चितता के मद्देनजर, वित्तीय विवरणों पर विशेष प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
10.	एमएमटीसी लिमिटेड	<p>i) क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद में एक देनदार से राशि की गैर-वसूली के कारण विशेष लेखापरीक्षा के आधार पर ₹ 2288.20 मिलियन का एक प्रावधान बनाया गया था।</p> <p>ii) क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नै के एक देनदार से वसूली योग्य कुछ चूक और गलती के कारण विशेष लेखापरीक्षा के आधार पर ₹ 155.44 मिलियन का एक प्रावधान बनाया गया था।</p>
11.	एनएचपीसी लिमिटेड	सुबंसरी लॉअर एच.ई. परियोजना पर व्यय ₹ 386.88 करोड़ की उधार लागत और ₹ 139.69 करोड़ की प्रशासनिक और अन्य लागत, जहां परियोजना का सक्रिय विकास बाधित किया गया था, को पूंजीगत चालू कार्य में शामिल किया गया था।

12.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	निम्नलिखित के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था: (i) प्रवेशकर - ₹ 970.10 करोड़ (ii) आयकर मांग - ₹ 87.62 करोड़ (iii) बिजली आपूर्ति के लिए डीवीसी का दावा - ₹ 217.40 करोड़
13.	द ओडिसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	व्यापार देय का शेष, व्यापार प्राप्यों, ऋण और अग्रिमों की पुष्टि नहीं की गई थी।
14.	द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> एएस 11 के अनुसार पुनर्मूल्यांकन पर अभिज्ञात ग्राहक/व्यापार देय से प्राप्त ग्राहक समाधान/अग्रिम के संबंध में मुद्रा लाभ/ हानि की सटीकता गैर-प्रमाणयोग्य और गैर-सुनिश्चित करने योग्य थी। कंपनी समुचित लेखापरीक्षा साक्ष्य के अभाव में प्राप्य खातों, एजेंटों के खातों के लिए पुष्टि प्रदान करने में असमर्थ थी, उक्त का प्रभाव सुनिश्चित करने योग्य/गैर प्रमाणयोग्य था।

❖ असूचीबद्ध कंपनियां

वर्ष 2012-13 के लिए असूचीबद्ध सरकारी कंपनियों और मानी गई सरकारी कंपनियों के लेखाओं पर अपनी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	लेखापरीक्षकों की टिप्पणी
1.	एग्रीकल्चर इंडियोरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान, कंपनी ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनाओं को नया रूप देने की प्रस्तावना के रूप में भारत की समेकित निधि से ₹ 200 करोड़ राशि अदा की थी और कंपनी बैलेंस शीट में इसे 'अग्रिम और अन्य संपत्तियों' के रूप में दर्शा रही थी। यह राशि उपरोक्त योजना की प्रतिधारित लाभ/आरक्षित निधि, लंबित पुनः निर्माण के प्रति समायोजित नहीं की गई थी।
2.	अंतरिक्ष कार्पोरेशन लिमिटेड	मै. देवस मल्टीमीडिया लिमिटेड के साथ किये गये अनुबंध की शर्तों के अनुसार नियत तिथि के अंतर्गत एक पूर्णतःपरिचालन सेटलाईट से पट्टे पर क्षमता प्रदान करने की इनकी विफलता के लिए यूएस \$ 5 मिलियन (₹ 21.89 करोड़) की विलंबित सुपुर्दगी जुर्माने के रूप में निर्णीत हर्जानेकी देयता के प्रति कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था।
3.	आर्टिफिशल लिंबस मैन्यूफैक्चरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	भारत सरकार से कार्पोरेशन द्वारा प्राप्त ऋणों का पिछले वर्षों में भुगतान नहीं किया गया। हालांकि ऋण की बकाया अवधि के लिए ₹ 39.53 करोड़ की साधारण ब्याज राशि पिछले वर्षों में उपलब्ध हुई थी लेकिन अभी तक भी अदा नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त करार के निबंधन और शर्तों के अनुसार कथित ऋण पर प्रोदभूत और देय ₹ 11.45 करोड़ राशि के शास्ति ब्याज के प्रति कोई प्रावधान नहीं किया गया था। कार्पोरेशन ने अपने प्रोत्साहक अर्थात् भारत सरकार से ब्याज सहित ऋण को स्वीकार करके संघ के अपने अनुच्छेद के

		अनुच्छेद 3 के प्रावधानों का उल्लंघन किया था।
4.	भारत संचार निगम लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> दूर संचार विभाग (डीओटी) से परिसंपत्तियों और देनदारियों को अपने अधीन करने की प्रक्रिया प्रगति पर थी और उनका मूल्यांकन और सत्यापन समाधान के अधीन थे। डीओटी से वसूली योग्य राशि पुष्टिकरण, समाधान और परिणामी समायोजन के अधीन थे। हालांकि कुछ परिसम्पतियां पूरी हो चुकी थी और उनका उपयोग आरंभ हो चुका था, को 'पूँजीगत कार्य प्रगति पर' के अंतर्गत दर्शाया गया था। कंपनी के पास पल्स के वास्तविक उपयोग के आधार पर एनएलडी/आईएलडी राजस्व की अलग-अलग पहचान करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। परिणामस्वरूप कंपनी ने अनुमान आधार पर लाइसेंस शुल्क की गणना की।
5.	बहमपुत्र वैली फर्टीलाइज़र कार्पोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> किये गये दावे के आधार पर ₹ 50.98 करोड़ राशि की संवर्धित कीमत(सब्सिडी) हेतु कंपनी जिम्मेदार थी। ऐसे दावों के अंतिम निपटान लंबित थे इससे उत्पन्न होने वाले प्रभाव सुनिश्चित करने योग्य नहीं था। वर्ष के दौरान, कंपनी ने शीर्ष संयंत्र और मशीनरी के अंतर्गत ₹ 9.86 करोड़ पूँजीकृत किये थे, जिनमें से अधिकतर मुख्य मरम्मत, नवीनीकरण और प्रतिस्थापन प्रकृति के थे। स्थायी परिसम्पतियों के विगत आकलित मानक निष्पादन में वृद्धि के संबंध में तकनीकी विशेषज्ञ से किसी रिपोर्ट के अभाव में, उक्त को एएस-10 का अनुपालन करने के लिए नहीं कहा जा सकता। अधिकतर मामलों में पट्टा/लाइसेंस करार कालातीत थे।
6.	ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> पूर्ववर्षों में, उपार्जित शोधन तिथि 14 जून 2003 तक ₹ 3.47 करोड़ के संचयी लाभांश की देनदारी अनुपालब्ध थी। कंपनी ने प्रत्येक ₹ 100 के 14 प्रतिशत संचयी शोध्य अधिमान शेयरों के लिए संचित लाभांश के प्रतिदान और उपलब्ध कराने में लगातार चूक की थी। इसी प्रबंधन के अंतर्गत सहायक कंपनियों और कंपनियों से ₹ 51.51 करोड़ के बकाया देय सहित दीर्घावधि ऋण और अग्रिम के लिए प्रदान की गई बकाया ₹ 0.29 करोड़ की एक राशि, ₹ 51.22 करोड़ का अंतर कम न करने की स्थिति और/या परिसमापन के मद्देनजर उपलब्ध करवाना अपेक्षित था। सहायक कंपनी, एल्लिगन मिल्लज कंपनी लिमिटेड जिसे कंपनी 07.09.2007 से उपयोग कर रही थी, के परिसर के उपयोग हेतु किराये और अन्य व्यय के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

7.	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • काफी समय से कुछ यूनिटों की भूमि के स्वामित्व और पट्टा विलेख के कार्यान्वयन लंबित थे। • विभिन्न यूनिटों के संबंध में खनन पट्टे का नवीनीकरण लंबित था। • कार्पोरेशन द्वारा लिये गये ₹ 37.00 करोड़ के आंतरिक कार्पोरेट ऋण पर ब्याज को बीआईएफआर पैकेज की शर्तों में दिनांक 31 मार्च 2005 की कट ऑफ तिथि के बाद प्रदान नहीं किया गया था। • कुल ₹ 19.00 करोड़ की बिक्री कर प्राधिकारियों द्वारा की गई मांग के संबंध में कार्पोरेशन द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया था क्योंकि मांगे न्यायाधीन थीं। • 'क्लीकर' जिसे सीमेंट उत्पादन के सामान्य प्रक्रिया में तैयार किया गया था, पर उत्पाद शुल्क के संबंध में ₹ 4.70 करोड़ के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था और राजबन यूनिट पर इसे सही रूप से उपयोग किया जा रहा था।
8.	सेंट्रल कोलफिल्डस लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • राष्ट्रीयकरण के समय पर इसके स्वामित्व और अन्य कंपनियों से भूमि और खनन को अपने अधीन करने का अधिकार, स्वामित्व और रुचि स्वामित्व विलेखों द्वारा समर्थित नहीं थीं। • ₹ 303.15 करोड़ राशि वाले माईन क्लोजर के प्रावधान के प्रति एस्करो खाता खोलना बाकी था। • ₹ 15.11 करोड़ राशि 01.01.2005 से 31.12.2007 की अवधि के लिए सेवा कर की भुगतान न की गई राशि पर देय ब्याज का कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
9.	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • कंपनी ने तीन वर्ष से अधिक सामान के आपूर्तिकर्ताओं के दावा न किये गये/अपुष्टिकृत क्रेडिट बैलेंस सहित व्यापार देय (अन्य) के संबंध में अपनी लेखांकन नीति का पालन नहीं किया था। • ₹ 0.18 करोड़ (भूमि) और ₹ 9.25 करोड़ (भवन) मूल्य वाला जवाहर व्यापार भवन नई दिल्ली के परिसर के संबंध में अधिकार पत्र निष्पादन हेतु लंबित थे।
10.	सेंट्रल इंग्लैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	मौजूदा परिसंपत्ति और देन दारियों का वर्गीकरण संशोधित अनुसूची VI की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं था।
11.	डेडीकेटिड फ्राईट कोरिडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • किये गये खर्च के संबंध में रेल मंत्रालय से ₹ 38.54 करोड़ का दावा मंत्रालय के पुष्टिकरण और अनुमोदन के अधीन था। • सुरक्षा जमा पर ₹ 0.32 करोड़ के अभिज्ञात ब्याज दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन को ब्याज रहित प्रदान किया गया। • किसी एक ठेकेदार की ओर से गुजरात मूल्य संवर्धित कर के संबंध में ₹ 5.73 करोड़ का दावा प्रदान नहीं किया गया था।

12.	ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड	कंपनी की वर्तमान नकारात्मक निवल संपत्ति के बावजूद, वित्तीय विवरण चालू अवधारणा के आधार पर तैयार किये गये थे जो दर्शाते हैं कि कंपनी निकट भविष्य में परिचालन अस्तित्व में चलती रहेगी। इस धारणा की वैधता उत्पादन लक्ष्यों अलाभकारी यूनिटों को बंद करने, श्रमबल का युक्तिकरण, परियोजना का समय पर कार्यान्वयन, विभिन्न राहत और छूट प्राप्त करने के पालन सहित रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत तैयार की गई बीआईएफआर स्वीकृत पुनर्वास योजना के सफल कार्यान्वयन पर निर्भर करती है, और एएस-28, जिसे उपरोक्त पुनर्वास योजना में परिकल्पित नहीं किया गया था; के अंतर्गत परिसंपत्तियों की हानि के प्रावधान के अतिरिक्त प्रभाव को भी पुरा करना है।
13.	हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	तीन वर्षों से अधिक एनसीएल बीना से देय ₹ 14.58 करोड़ के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
14.	हिंदूस्तान एंटोबायोटिक्स लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त उद्यम के संचालन के विच्छेदन पर हानियों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था। कंपनी ने स्रोत और ब्याज पर आयकर कटौती के गैर-भुगतान और सेवा कर की गैर-अदायगी पर जुर्माने पर ब्याज और जुर्माने के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया था।
15.	हिंदूस्तान फर्टीलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष के लिए भारी संचित पूर्व हानियों और हानि जिसने कंपनी की निवल संपत्ति को पूर्णतः खत्म कर दिया गया था; के बावजूद चालू अवधारणा पर संगत सिद्धांत पर खाते तैयार किये गये थे। कंपनी के भारी नुकसान काफी संदेह पैदा करते हैं कि क्या कंपनी 'गोइंग कंसर्न के रूप में स्वयं को' जारी रखने में सक्षम रहेगी। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए बोर्ड को संदर्भ दिये गये थे और मामले का अंतिम निपटान लंबित था। कंपनी का परिचालन अस्तित्व भारत सरकार के निर्णय पर आधारित था। करार 1121.885 एकड़ भूमि के संबंध में निष्पादित करना बाकी था। ₹ 103.44 करोड़ की ऋण राशि के रूप में समाप्त पट्टे के संबंध में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा नुकसान के दावे को कंपनी ने स्वीकार नहीं किया था। बहमपुत्र वैली फर्टीलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय कैमिकल्स फर्टीलाइजर लिमिटेड और द फर्टीलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संबंध में लेन-देनों संबंधी बकाया का समाधान नहीं किया गया था और उनसे कोई पुष्टिकरण प्राप्त नहीं हुआ था।
16.	हिंदूस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> आयकर अधिनियम की धारा 115 जेबी के अनुसार न्यूनतम विकल्प कर (मैट) के अनुसार कंपनी ने कोई प्रावधान नहीं बनाया था। मौजूदा और गैर-मौजूदा परिसंपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण कंपनी अधिनियम की संशोधित अनुसूची VI के अनुसार

		नहीं किया गया था।
17.	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • कंपनी को वर्ष के दौरान ₹ 16.27 करोड़ नकद और ₹ 19.81 करोड़ की निवल हानि हुई। कंपनी को विगत कुछ वर्षों से लगातार हानि उठानी पड़ी थी और (-) ₹ 1391.78 करोड़ के शेयर धारकों के प्रति बकाया ₹ 1508.90 करोड़ 31.03.2013 तक खातों में निवल हानि अग्रणीत की गई। यह कंपनी की निवल संपत्ति के पूर्ण अपरदन को दर्शाता है। वर्ष के वित्तीय कथन की तैयारी में कंपनी द्वारा अपनाया गया "गोइंग कंसर्न कंसैप्ट" केवल भारत सरकार द्वारा परिकल्पित "वित्तीय पुनर्संरचना" पर आधारित था, जो, यदि नहीं किया गया, तो कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन अवधारणा को खतरे में डाल देगी। • सेल लंबे समय से बकाया दावों के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था - ₹ 17.01 करोड़ और सेल द्वारा ₹ 9.79 करोड़ के बकाया दावे स्वीकार नहीं किये गये थे। • स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना जिसे सरकार द्वारा अदा नहीं किया गया था; के अंतर्गत सावधि ऋण पर भारत सरकार से प्राप्त ब्याज सब्सिडी के रूप में ₹ 23.03 करोड़ के खातों में कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था और एक लंबी अवधि से बहीखातों में बकाया पड़े हुए थे। • एचएससीएल-एसआईपीएल की संयुक्त उद्यम परियोजना के अंतर्गत किए गए अनुबंध को रद्द करने की दिशा में उनके द्वारा बैंक गारंटी मांगने के कारण एनएचएआई से ₹ 8.00 करोड़ अग्रिम देय शामिल थे।
18.	हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल्स कार्पोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • गोइंग कंसर्न अवधारणा के आधार पर तैयार किये गये खातों, जो उचित नहीं थे, क्योंकि कंपनी की विनिर्माण इकाईयों के सभी परिचालन बंद थे और परिसमापन के अंतर्गत रखे गये थे। इसके अतिरिक्त कंपनी के निवल मूल्य में महत्वपूर्ण कमी हुई थी। • कार्पोरेशन ने वित्तीय वर्ष 2000-01 से कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ अपने वित्तीय विवरण फाईल नहीं किये थे।
19.	एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड	कंपनी ने ₹ 1.63 करोड़ राशि आंध्र प्रदेश गैस पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड में दीर्घावधि निवेशों में कमी को नहीं पहचाना था।
20.	एचएमटी वॉचिज़ लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • निम्नलिखित के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था <ul style="list-style-type: none"> (क) ब्याज, शास्ति ब्याज और नुकसानों के वैधानिक बकाया राशि के माफ करने में चूक ₹ 43.62 करोड़ (ख) लॉकआऊटस, बैंक वेतन, प्रोत्साहन राशि, वार्षिक बोनस आदि से संबंधित दावों से जुड़े कर्मचारी से संबंधित लंबित अधिनिर्णय ₹ 3.65 करोड़

		<ul style="list-style-type: none"> • खरीदार को दिये गये भवन के कब्जे सहित भूमि विक्रय के प्रति अग्रिमों से संबंधित ₹ 8.90 करोड़ राशि सहित अन्य मौजूदा देनदारियां प्राप्त की गई। लेन-देन बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए संबंधित प्राधिकारियों से लंबित बिक्री अनुमोदन के रूप में नहीं पहचाने गये हैं। • वॉच मार्केटिंग डीवीजन में अचल परिसंपत्तियों के गॉस ब्लॉक के बीच ₹ 1.89 करोड़ का और 01.04.2012 तक अचल परिसंपत्ति का रजिस्टर के अनुसार समाधान नहीं किया गया था।
21.	एचओसी चेमातुर लिमिटेड	नकद प्रवाह की उपलब्धता की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के पास भविष्य में किसी व्यवसाय को करने की कोई योजनाएं नहीं थी। इन स्थितियों ने अन्य मामलों के साथ-साथ सामान अनिश्चितता जो आगे गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रखने के लिए कंपनी की योग्यता के बारे में गहत्वपूर्ण संदेह पैदा करती है। इसलिए कंपनी अपनी परिसंपत्तियों को वसूल करने में और व्यापार के सामान्य प्रवाह में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम नहीं हो सकती। इसके साथ-साथ वित्तीय विवरणों और टिप्पणियों ने इस तथ्य को पूरी तरह से प्रकट नहीं किया।
22.	आईडीबीआई इंफ्राफिन लिमिटेड	कंपनी की निवल संपत्ति का क्षरण होने के बावजूद, खातों को मौजूदा हालात के आधार पर तैयार किया गया था, कंपनी के परिचालनों को बढ़ाने के लिए कदम उठाये गये थे। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक कंपनी ₹ 7.09 करोड़ राशि के शेरों से सदस्यता द्वारा कंपनी में पूँजी लगाने की प्रक्रिया में थी।
23.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड (2010-11)	<ul style="list-style-type: none"> • ऋषिकेश संयंत्र में, सीआईएसएफ वीआरएस के अंतर्गत कर्मचारियों को अदायगी विलंबित प्राप्तियों पर कर्मचारियों से प्राप्त ब्याज, पोर्ट निकासी, विलंब शुल्क समाशोधन और अग्रेषण प्रभार सहित आपूर्ति कर्ताओं/सेवा प्रदाताओं को विलंबित अदायगी पर ब्याज की नकद आधार पर गणना की जा रही थी। • कंपनी ने निर्धारण वर्ष 2004-05 से 2010-11 से आयकर रिटर्न फाईल नहीं की थी जिसके कारण आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 271बी और 271एफ के अंतर्गत जुर्माना लगाया जा सकता है।
24.	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	<ul style="list-style-type: none"> • संपत्ति कर पर ₹ 0.97 करोड़ का ब्याज उपलब्ध नहीं कराया गया था। • ₹ 10 करोड़ राशि कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेन्ट बोर्ड से प्राप्त की गई। 50 एकड़ की विकसित भूमि को पूँजीगत नहीं किया गया था। • बाह्य संरचना के विकास के लिए कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेन्ट बोर्ड को कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई ₹ 5.85 करोड़ राशि को दर्ज नहीं किया गया था। • 2008-09 से 2012-13 हेतु आय कर के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था।

25.	कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • वर्ष के दौरान कार्यों में जहां वास्तविक प्रगति नहीं थी, को पूँजीगत कार्य प्रगति के अंतर्गत रखा गया था। • कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड के विरुद्ध किये गये दावों और मध्यस्थता के अंतर्गत ₹ 1093.32 करोड़ राशि को आकस्मिक देयता के रूप में रखा गया था। • अनुमानित आधार पर आकस्मिकता हेतु कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था। जैसाकि मध्यस्थता ने ₹ 8.13 करोड़ की मंजूरी प्रदान की थी।
26.	नेशनल बाईसिकल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	सरकार और कंपनी द्वारा ब्याज गणना के लिए विभिन्न तरीके अपनाने के कारण, सरकारी ऋणों के संबंध में ₹ 138.66 करोड़ राशि के ब्याज हेतु कंपनी ने कोई प्रावधान नहीं बनाया था।
27.	नेशनल माइनोरिटिज़ डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड	यूपी अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के मामले में सरकारी गारंटी कवर ₹ 20.73 करोड़ तक कम था।
28.	नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन	<ul style="list-style-type: none"> • स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसिज़ (एससीएज़) से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में काफी विलम्ब देखा गया। ₹ 428.35 करोड़ (31 मार्च 2013 तक ₹ 829.88 करोड़ के कुल आहरण के प्रति) 31 मार्च 2013 तक कुल बकाया ऋणों में से, कार्पोरेशन के पास कुल ₹ 148.63 करोड़ की उपयोग न की गई राशि थी। • ₹ 428.35 करोड़ के कुल बकाया ऋण में से, ₹ 111.91 करोड़ राज्य सरकार गारंटी द्वारा कवर किये गये थे, ₹ 307.83 करोड़ राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आश्वासन पत्र द्वारा कवर किये गये थे और ₹ 8.61 करोड़ की शेष राशि न तो सरकारी गारंटी ही आश्वासन पत्र द्वारा प्राप्त की गई थी। • राज्य सरकार गारंटी द्वारा कवर किए गए ऋण को सुरक्षित के रूप में माना गया था। कार्पोरेशन गारंटी में आश्वासन पत्र के रूपांतरण के लिए ठोस कदम लेते हुए प्रतीत नहीं होती है। • कई एससीएज़ ने उधार देने की नीति और निगम के दिशा-निर्देशों में निर्धारित मूल चुकाने में चूक की थी। उक्त एससीएज़ द्वारा की गई कुल चूक ₹ 192.33 करोड़ बताई गई थी। • मानीटरिंग, रिपोर्टिंग सिस्टम और परियोजनाओं के तकनीकी मूल्यांकन आदि को सुदृढ़ करना चाहिए क्योंकि एससीएज़ के वितरण की अधिकतम उपयोगिता को और तीव्र वसूली सुनिश्चित करना पर्याप्त नहीं था।
29.	नेशनल शेड्यूल्ड ट्राईब्ल्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन	वर्षों से कुल संचित वितरण में से विभिन्न स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसिज़ के साथ पड़ी अनप्रयुक्त ₹ 65.79 करोड़ की राशि का समाधान किया जाना था।
30.	नेशनल टैक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा लिये गये ₹ 17.00 करोड़ की मैट क्रेडिट पात्रता और दावायोग्य ₹ 92.53 करोड़ की मैट क्रेडिट पात्रता

		आईसीएआई द्वारा जारी आयकर अधिनियम, 1961 के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर के संबंध में उपलब्ध ऋण के लिए लेखांकन पर दिशा-निर्देश टिप्पणी के अनुसार नहीं थे, क्योंकि कोई ठोस सबूत उपलब्ध नहीं थे कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर अदा करेगी और मेट क्रेडिट पात्रता के योग्य होगी।
31.	न्यू मेंगलोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	₹ 245.89 करोड़ की परिसंपत्ति राशि को पूँजीगत नहीं किया गया था यद्यपि कुल 37.00 कि.मी. रोड में से 34.98 कि.मी. ठेकेदार से 30 मई 2012 तक अपने अधिकार में ले लिया था। तब से ठेकेदार की त्रुटि दायित्व अवधि आरंभ हो चुकी थी और सड़क से राजस्व अर्जित करना संभव था हालांकि उपरोक्त को अन्य कारणों से परिचालित नहीं किया जा सका था। 34.98 किमी. रोड पर खर्च ₹ 12.17 करोड़ की उधार लागत और ₹ 0.23 करोड़ की प्रशासनिक लागत को लाभ और हानि विवरण में प्रभारित नहीं किया गया था। इसी प्रकार, पूँजीगत कार्य प्रगति पर ₹ 258.29 करोड़ तक कम हो गया और अचल परिसंपत्तियां ₹ 245.89 करोड़ तक बढ़ गया तथा पणधारकों की निधि (करों का निवल) ₹ 12.39 करोड़ तक कम हो गया।
32.	नॉर्दन कोलाफिल्ड्स लिमिटेड	सरकारी निदेशों के अनुसार, 01 अप्रैल 1986 तक केंद्रीय कोलफिल्ड्स लिमिटेड की सिंगरौली डिवीजन की परिसंपत्तियों और देनदारियों पर कंपनी द्वारा निवल मूल्य पर अधिकार कर लिया था। कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियों और देनदारियों के स्थानान्तरण हेतु विधिक औपचारिकताएँ अभी भी पुरी की जानी थी।
33.	ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	एक पार्टी से संबंधित ₹ 399.24 करोड़ के दावे सर्वे रिपोर्ट/कानूनी राय के आधार पर पूर्व वर्षों में अस्वीकृत किये गये थे। प्रभावित बैंकों ने अस्वीकरण के प्रति कानूनी कार्रवाई को प्राथमिकता दी थी। कंपनी ने कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुसार इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं बनाया था।
34.	पीईसी लिमिटेड	कंपनी ने अपनी लेखाकरण नीति के विरुद्ध दो लौह अयस्क सहयोगियों से ₹ 43.34 करोड़ का राजस्व खातों में लिया।
35.	रेलटैल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	₹ 106.13 करोड़ की राशि को प्राप्य के रूप में दर्शाया गया था और ₹ 82.69 करोड़ रेल मंत्रालय को विभिन्न खातों में देय दिखाया गया था। उक्त शेष की पुष्टि/समाधान विश्वसनीयता/समायोज्यता के अभाव में टिप्पणी नहीं की जा सकी।
36.	रिचर्डसन और कुडास (1972) लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी के वित्तीय विवरण इस तथ्य के मद्देनजर तैयार किए गए थे, कि इसकी निवल संपत्ति पूरी तरह से क्षरित हो गई थी। मौजूदा हालात की उपयुक्तता अन्य बातों के साथ-साथ ऋणों के अपने दायित्वों, पुनः नियतन/पुनर्संरचना को पुरा करने के लिए पर्याप्त निधियों के समावेश पर निर्भर थी। कंपनी अपने परिचालन अस्तित्व को बनाये रखने में सक्षम नहीं हो सकी थी और अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्य संभालने के लिए समायोजन

		<p>करना पड़ा था।</p> <ul style="list-style-type: none"> घाटकोपर में आवासीय फ्लैट्स के संबंध में, कोई स्वामित्व और स्वामित्व की स्वरूप पर कोई अधिकार पत्र पर उपलब्ध नहीं थे।
37.	सेल रिफैक्ट्री कंपनी लिमिटेड	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से प्रतिनियुक्ति पर कार्यकारी कार्य के संबंध में ₹ 1.29 करोड़ के कर्मचारी लाभ व्यय की देयता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
38.	सिक्कूरिटी प्रिंटिंग और मिंटिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2009-10 तक सिक्को की विक्री पर दी गई दर विभिन्नता के रूप में ₹ 21.44 करोड़ का प्रावधान किया था। उक्त को अन्य व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है। हालांकि, 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में ₹ 130.92 करोड़ के सिक्के की विक्री पर और 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में ₹ 18.07 करोड़ पर दर विभिन्नता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसी प्रकार, 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बनाये गये बैंक नोटों की विक्री पर ₹ 121.45 करोड़ से अधिक दर अंतर के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बिल में दर्शाये गये पोस्टल स्टेशनरी के विक्री मूल्य 2006-07 में लागत लेखाकरण शाखा द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार नहीं थे। इस प्रकार, विक्री के साथ-साथ व्यापार प्राप्यों के शेष व्यापार ग्राहकों द्वारा स्वीकृति के अधीन थे।
39.	स्टेट फार्म्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> 2009 से लंबित ₹ 5.80 करोड़ हेतु सव्मिडी की अवितरित राशि सरकार (3 वर्षों से अधिक से लंबित) को वापस की जानी चाहिए थी क्योंकि कार्पोरेशन में पंजीकृत विभिन्न किसान कार्पोरेशन के नियमों को पालन नहीं कर रहे थे और इसके कारण उनके वास्तविक अस्तित्व पर भी संदेह पैदा कर दिया। कार्पोरेशन ने सुक्ष्म और लघु उद्यमों जिसे सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत किया गया था; के बकाया के संबंध में संशोधित अनुसूची VI द्वारा अपेक्षित उचित प्रकटीकरण नहीं किया था। कार्पोरेशन ने क्रमशः राज्य सरकारों/केन्द्र सरकार से फार्मस स्तर पर खेती के उद्देश्य हेतु भूमि ली; हालांकि कार्पोरेशन के पास ऐसे उपयोग के अधिकार हेतु कोई दस्तावेज/पट्टा विलेख/करार नहीं था।
40.	एसटीसीएल लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी का निवल मूल्य नकारात्मक था। ₹ 1220.14 करोड़ तक के व्यापार प्राप्य ऋण और अग्रिम संदेहास्पद थे। “एनएसएस सतपुड़ा एग्री डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड” में संयुक्त उद्यम निवेश के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किये गये थे।
41.	द हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स	<ul style="list-style-type: none"> बुलियन व्यापार के संबंध में, ₹ 43.46 करोड़ के व्यापार प्राप्य नकद की नीति के विरुद्ध तुलन पत्र में दर्शाये गये थे और बुलियन करार

	कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	के अनुसार लिया गया था, जिसका समाधान किया जाना था। • माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित-मध्यवर्ती लाभ के संबंध में प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर के ब्याज सहित ₹ 120 प्रति वर्ग फुट प्रति माह 3 महीनों में अदा किये जाने थे और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्पोरेशन के खिलाफ निर्णय को बरकरार रखा गया, केवल ₹ 63.50 प्रति वर्ग फीट का प्रावधान किया था और मध्यवर्ती लाभ के लिए ₹ 1.44 करोड़ के लिए शेष राशि और ब्याज के ₹ 0.62 करोड़ ब्याज को आकस्मिक देयता के अंतर्गत दर्शाया गया था।
42.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड	हालांकि कंपनी के खाते गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किया गया था, बीआईएफआर आदेश और प्रतिकूल वित्तीय परिचालन संकेतक को ध्यान में रखते हुए उन्हें संदेह था कि कंपनी भविष्य में गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहेगी।
43.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	कंपनी के खातों को इस अवधारणा पर संकलित किया गया था कि कंपनी गोइंग कंसर्न के रूप में कार्य करती रहेगी। ₹ 379.40 करोड़ की संचित हानि ₹ 8.44 करोड़ के निवल मूल्य से बढ़ गई थी और वर्ष के दौरान और तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद हानि उड़ानी पड़ी थी। कंपनी रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान अधिनियम) 1985 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ओ) के अर्थ के अनुसार एक "रूग्ण औद्योगिक कंपनी" थी। कंपनी ने 2004-05 के दौरान औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) का संदर्भ दिया था। इस प्रकार, गोइंग कंसर्न के रूप में चालू रहने की कंपनी की योग्यता पर संदेह था और बीआईएफआर/सरकार द्वारा किसी पुनरूद्धार कार्यक्रम पर निर्भर करेगी।
44.	उत्कल अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड	कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य इंश्योरेंस में नियमित रूप से जमा नहीं कर रही थी।
45.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	कंपनी की नीति के अनुसार केवल कुछ विशेष पूर्व-अवधि मद जो ₹ 10 लाख प्रति से अधिक थे, को पूर्व-अवधि मदों के रूप में शामिल किये गये थे और शेष मद चालू वर्ष के व्यय/आय के रूप में लिये गये थे। यह नीति एएस-5 के विपरीत थी।

2.9 सीएजी द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(ए) के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित आपत्तियां।

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(ए) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास उस ढंग के निर्देश देने की शक्ति होगी कि धारा 619 की उप-धारा (2) के अनुसरण

में नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के खातों की किस प्रकार लेखापरीक्षा की जाएगी और उसके कार्यों के निष्पादन से संबंधित किसी भी मामले में ऐसे लेखापरीक्षक को निर्देश दें।

सीएजी द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(ए) के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी पूरक रिपोर्टों में महत्वपूर्ण आपत्तियां दर्शाई थीं। कई कंपनियां जिनमें सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कमियां पाई गई थीं और सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था जिसे अनुलग्नक X से XIX में दर्शाया गया है। कंपनियों की संख्या के साथ आपत्तियों के क्षेत्र नीचे दर्शाए गए हैं।

क्र. सं.	आपत्ति क्षेत्र	कंपनियों की संख्या
1.	लेखांकन नीतियां और पद्धतियां (ऋटिपूर्ण लेखांकन नीतियां और पद्धतियां)	10
2.	व्यावसायिक जोखिम (व्यावसायिक जोखिम के पहचान की प्रक्रिया या तो अपर्याप्त थी या अस्तित्व में नहीं थी)	22
3.	लेखा और वित्तीय नियंत्रण प्रणाली (लेखा और वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है)	70
4.	परिसंपत्तियां (सूची सहित) (आर्थिक मात्रा आदेश, एबीसी विश्लेषण, भौतिक सत्यापन प्रणाली या सूची का अनुरक्षण पर्याप्त नहीं/ऋटिपूर्ण था)	71
5.	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली (आंतरिक लेखापरीक्षाप्रणाली को मजबूत किये जाने की आवश्यकता है)	35
6.	ईडीपी लेखापरीक्षा (सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर, आईटी नीतिगत/योजना के लिए उपयुक्त सुरक्षा नीति में सुधार की आवश्यकता है)	67
7.	लागत प्रणाली (औपचारिक लागत नीति का अभाव या मौजूदा लागत नीति प्रभावी नहीं है)	20
8.	अनुबंध प्रदान करना और निष्पादन (मानीटरिंग और समायोजन को ठेकेदारों तथा आपूर्तिकर्ताओं के अग्रिमों को मजबूत करने की आवश्यकता है)	12
9.	देनदार और लेनदारों के शेष की पुष्टि (देनदार/लेनदारों के शेष की पुष्टि प्राप्ति की	27

	ऋटिपूर्ण प्रणाली)	
10.	धोखाधड़ी और जोखिम (अकुशल धोखाधड़ी जोखिम नीति/चेतावनी नीति)	104

2.10 वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता, प्रचालनों की प्रभावकारिता एवं दक्षता, लागू कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन और धोखाधड़ी एवं दुर्विनियोजन की जाँच के सम्बन्ध में इकाई के उद्देश्य की उपलब्धि के बारे में यथोचित आश्वासन के साथ शासन और प्रबन्धन द्वारा बनायी गयी एवं कार्यान्वित की गई प्रक्रिया है।

- ❖ तैयार किए गए वित्तीय विवरण सही एवं यथार्थ तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और
- ❖ विश्वसनीयता की मात्रा जिसे सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिए वित्तीय विवरणों पर भरोसा कर सकते हैं।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(क) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों से पर्याप्तता अथवा कम्पनी द्वारा अपनाये गए आंतरिक नियंत्रण उपाय और देनदारों, रोकड़ एवं बैंक शेषों सहित स्थायी एवं चालू परिसम्पत्तियों के प्रबन्धन, रक्षा करने और सत्यापन के क्षेत्रों में सुधार, यदि कोई है, का सुझाव देने की रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

निम्नलिखित के सम्बन्ध में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सूचित त्रुटियाँ

- अचल परिसम्पत्ति रजिस्टर का अनुचित रख-रखाव,
- निवेश नीति का न होना,
- पृथक सतर्कता विभाग का सृजन न होना और
- मानी गई सरकारी कम्पनियों आदि सहित सरकारी कम्पनियों में इन्वेंटरी स्टॉक होल्डिंग के लिए प्रतिमान का नियतन न करना

विभिन्न कम्पनियों में आंतरिक नियंत्रण के अभाव के सम्बन्ध में ब्यौरे परिशिष्ट-XX में दिए गए हैं। अन्तर्गस्त कम्पनियों की संख्या के साथ त्रुटि का क्षेत्र नीचे दर्शाया गया है:

क्र. सं.	त्रुटि का क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या
1	अचल परिसम्पत्तियाँ	2
2	आंतरिक कार्यविधियाँ एवं प्रचालनात्मक दक्षता	11
3	निवेश	3
4	सूची	3

5	आंतरिक लेखापरीक्षा	9
6	आईटी नीति	2
7	सतर्कता	10